केवल आप के लिये
गांव–गांव शहर–शहर देश दुनियां में अपनों तक पहुंचाना है तो :भारतीय बस्ती दैनिक वेब
www.bhartiyabasti.com
और उसका छपा संस्करण
सबसे बेहतर माध्यम
सम्पर्क–bhartiyabasti@gmail.com
मो० 9450567450| 9336715406

दैनिक
भारतीय बस्ती

भारतीय बस्ती
www.bhartiyabasti.com
के लिये विज्ञापन बुक कराये।
विचार, प्रचार का सशक्त माध्यम
सम्पर्क
मो० 9336715406
8400925463

भारतीय बस्ती आमंत्रण मूल्य 2रूपया

R.N.I. 38784/81 डाक पंजीकरण सं0 B.S.T 59 बस्ती, वर्ष :47 अंक 277 शनिवार 2 मई 2026 (बस्ती संस्करण) बस्ती एवं अयोध्या–फैजाबाद से एक साथ प्रकाशित पृष्ठ :4मूल्य:3.00 रुपया www.bhartiyabasti.com

एक नजर

लाइफ इंश्योरेंस का अधिकारी बनकर ठगी

–भारतीय बस्ती संवाददाता–

बस्ती । जनपद के पुरानी बस्ती थाना क्षेत्र में साइबर ठगी का एक गंभीर मामला सामने आया है। जालसाजों ने खुद को एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस का कर्मचारी बताकर एक व्यक्ति से 4.47 लाख रुपये ठग लिए। पुलिस ने इस मामले में आईटी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

पाण्डेय बाजार निवासी राघवेंद्र शरण त्रिपाठी के अनुसार, यह घटना 10 दिसंबर 2025 को शुरू हुई। उन्हें एक अज्ञात नंबर से कॉल आया, जिसमें कॉलर ने खुद को एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस का कर्मचारी बताया। कॉलर ने राघवेंद्र शरण त्रिपाठी की पॉलिसी और फाइल नंबर की सटीक जानकारी दी, जिससे उन्हें उस पर भरोसा हो गया। इसके बाद, एक अन्य नंबर से खुद को वरिष्ठ अधिकारी बताने वाले व्यक्ति ने संपर्क किया और नई पॉलिसी खोलने के नाम पर दस्तावेजों की पुष्टि कराई।

जालसाजों ने पीड़ित को विश्वास में लेकर उनसे अलग–अलग किस्तों में पैसे ट्रांसफर करवाए। राघवेंद्र शरण त्रिपाठी ने पहले 32,000 रुपये एक खाते में भेजे। इसके बाद, 99,004 रुपये, 1,90,014 रुपये और 1,26,302 रुपये दूसरे खाते में ट्रांसफर किए।

इस प्रकार, कुल 4 लाख 47 हजार 320 रुपये की ठगी की गई। घटना का पता चलने पर पीड़ित ने थाना पुरानी बस्ती में शिकायत दर्ज कराई।

थानाध्यक्ष जयदीप दूबे ने बताया कि धारा 66(डी) आईटी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस आरोपियों के मोबाइल नंबर और बैंक खातों के आधार पर जांच कर रही है।

शांति भंग की आशंका में 8 गिरफ्तार

–भारतीय बस्ती संवाददाता–

बस्ती। पुलिस ने शांति व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। मुंडेरवा थाना पुलिस ने 1 मई 2026 को 6 पुरुषों और 2 महिलाओं को शांति भंग की आशंका पर पकड़ा। यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक डॉ. यशवीर सिंह द्वारा चलाए जा रहे अभियान के तहत की गई।

गिरफ्तार किए गए सभी 8 अभियुक्तों के खिलाफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 170, 126 और 135 के तहत कार्रवाई की गई है। उन्हें उप जिला मजिस्ट्रेट सदर बस्ती के समक्ष पेश किया गया। गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों में हरिशचंद्र (40), अशोक कुमार उर्फ भोला (50), आरती देवी (45), प्रियंका देवी (22), सत्तयम (22), संदीप कुमार (32), अंकित चौधरी (23) और अभिमन्यु (28) शामिल हैं। आरती देवी और प्रियंका देवी ओड़वारा, मुंडेरवा की निवासी हैं। हरिशचंद्र और अशोक कुमार उर्फ भोला भी ओड़वारा से हैं। सत्तयम टिकुइकोल बाबू, महुली (संतकबीर नगर) का निवासी है। संदीप कुमार दसौता और अंकित चौधरी ओड़वारा, जबकि अभिमन्यु उमरी अहरा, मुंडेरवा थाना क्षेत्र के निवासी हैं।

इस गिरफ्तारी अभियान में मुंडेरवा थाने के उपनिरीक्षक राकेश त्रिपाठी, प्रमोद नायक, भोलानाथ यादव, राजनाथ, मिथिलेश मिश्रा, अशोक कुमार यादव, कांस्टेबल राहुल यादव और महिला कांस्टेबल नेहा गौड़ की टीम शामिल थी। यह कार्रवाई अपर पुलिस अधीक्षक श्यामकांत के निर्देशन और क्षेत्राधिकारी कुलदीप सिंह यादव के पर्यवेक्षण में थानाध्यक्ष प्रदीप कुमार सिंह के नेतृत्व में की गई।

थानाध्यक्ष प्रदीप कुमार सिंह ने बताया कि ये सभी अभियुक्त सार्वजनिक स्थान पर वाद –विवाद कर रहे थे।जिसके तहत कार्यवाही किया गया है।

गंगा एक्सप्रेसवे पर 15 दिन नहीं लगेगा टोल

लखनऊ (आभा)। गंगा एक्सप्रेसवे आम जनता के लिए चालू कर दिया गया है। लेकिन अभी इसपर टोल टैक्स शुरू नहीं हुआ है। इस कारण 15 दिन सफर मुफ्त में होगा। मई दिवस पर योगी सरकार ने कई ऐलान किए हैं। इनमें श्रमिकों को दोपहर में 5 घंटे आराम, हेल्पलाइन और कंट्रोल रूम शुरू करना शामिल है।

वहीं दूसरी ओर यूपी में आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के लिए राहत भरी खबर है। आउटसोर्सिंग और अंशकालिक कर्मियों को छह दिन निरंतर काम करने के बाद एक दिन का सवेतन साप्ताहिक अवकाश दिया जाएगा। आठ से नौ घंटे प्रतिदिन कार्य करेंगे और इससे अधिक कार्य लिए जाने पर ओवरटाइम देय होगा। समाज कल्याण राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) असीम अरुण ने अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस पर श्रमिकों से संवाद कार्यक्रम में उन्हें सरकार के नए प्रयासों की जानकारी दी।

अटल आवासीय विद्यालय के पहले बैच के मेधावी छात्रों को सम्मानित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन में वर्ष 2023 में अटल आवासीय विद्यालयों की स्थापना एक नई मिसाल बनी। इन बच्चों ने सीबीएसई बोर्ड की मेरिट लिस्ट में स्थान प्राप्त कर अपने माता–पिता के अथक श्रम व पसीने की लाज रखी है। नए भारत के निर्माण में आप सभी श्रमिक भाई–बहन प्रधानमंत्री के विजन के वास्तविक शिल्पकार हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि सर्दी–गर्मी, आंधी–तूफान की परवाह किए बिना आप जो पसीना बहाते हैं, उसकी एक–एक बूंद धरती माता को सोना उगलने की शक्ति देती है। पहले विडंबना यह थी कि जो श्रमिक दूसरों को छत, अन्न और अस्पताल देते थे, स्वयं उनके पास आवास नहीं होता था, उनके बच्चे भूख से तड़पते थे और उन्हें इलाज की सुविधा नहीं मिलती थी। लेकिन अब प्रधानमंत्री के नेतृत्व में 'श्रममेव जयते' मंत्र के साथ श्रमिकों को सम्मान और गौरव मिल रहा है।

गैस एजेंसी परिसर से सिलेंडर की चोरी

–भारतीय बस्ती संवाददाता–

बस्ती । कलवारी थाना क्षेत्र में एक गैस एजेंसी परिसर से दिनदहाड़े सिलेंडर चोरी हो गया। सरला भारत गैस एजेंसी में हुई इस घटना ने सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं, जबकि परिसर में सीसीटीवी कैमरे भी लगे हुए थे। ग्राम पड़री निवासी मदन चंद्र चौधरी ने बताया कि उनके भतीजे गुरु दास चौधरी गुरुवार को एजेंसी पर गैस सिलेंडर लेने गए थे। उन्होंने सिलेंडर साइकिल पर खड़ा किया और पर्ची कटवाने के लिए अंदर चले गए। जब वे वापस लौटे, तो सिलेंडर गायब था।पीड़ित परिवार ने शुक्रवार को इस घटना की सूचना एजेंसी प्रबंधन और कलवारी थाने को दी। उन्होंने जनसुनवाई पोर्टल पर भी शिकायत दर्ज कराई है।

सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि एजेंसी में लगे सीसीटीवी कैमरे भी इस चोरी को पकड़ने में नाकाम रहे। बताया गया है कि पूरा परिसर कैमरे की निगरानी में नहीं था, जिसका फायदा उठाकर चोर आसानी से वारदात को अंजाम देकर फरार हो गया। मदन चंद्र चौधरी ने आरोप लगाया कि एजेंसी परिसर में पहले भी इस तरह की चोरियां हो चुकी हैं, लेकिन सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम नहीं किए गए। उन्होंने इसे गंभीर लापरवाही बताते हुए दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है।

कुदरहा कस्बे में जाम से गाड़ियों की लगती है लंबी कतार, व्यापारी व राहगीर परेशान

–भारतीय बस्ती संवाददाता–

कुदरहा, (बस्ती)। राम जानकी मार्ग पर अतिक्रमण के चलते कुदरहा कस्बे में प्रतिदिन घंटो जाम लगने से कस्बा वासियों व राहगीरों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। पुलिस प्रशासन मूकदर्शक बन तमाशबीन बनी हुई है।

राहगीर व कस्बा वासी महेश पाल, गंगाराम दुबे, हरिश्चंद्र चौधरी, शैलेश शुक्ल, जय प्रकाश यादव, जीतबहादुर यादव, अमित पाल, सतीश मोदनवाल, सुग्रीव पटवा सहित तमाम लोगो ने बताया कि कुदरहा बाजार की सबसे बड़ी समस्या जाम है। इससे व्यवसाय भी प्रभावीत हो रहा है। डग्गामार वाहन चौराहे पर कब्जा कर टैक्सी स्टैंड स्थापित कर लिये है। यदि बाजार से स्टैंड को बाहर करा दिया जाए तो जाम से निजाद मिल सकता है। व्यापारियो को भी लोगों को समझाने की जरूरत है। गाड़ी सड़क के किनारे ही खड़ी करे। साप्ताहिक बाजार के दिन विशेष कर जाम लगता है। कभी–कभी लालगंज के तरफ से जब ट्रेलर गाड़ी चौराहे पर आ जाती है तो मोड़ पर सकरा होने के कारण भी जाम लगता है। एम्बुलेंस भी नही निकल पाता और फसा रहता है। गाड़ी के लंबी कतार जब पुलिस चौकी को पार कर गया तब पुलिस की नीद खुली और चौकी प्रभारी टीम के साथ आनन फानन में पहुचे और कड़ी मेहनत कर दो घंटे बाद लोगो को जाम से निजात मिल सका।

इस संबंध में चौकी इंचार्ज कुदरहा उमेश सिंह ने बताया कि शादी विवाह व बाजार के चालते जाम लगा था। जिसे खाली करा दिया गया था। चौराहे पर खड़ी वाहनों को बाजार से बाहर खड़ी करने की चेतावनी सभी को दी गई है। सर्वाधिक समस्या महादेवा की तरफ से आने वाली बड़े वाहनों पर होता है।

बुद्ध पूर्णिमा पर सहभोज का आयोजन

–भारतीय बस्ती संवाददाता–

बस्ती । हर्रैया (बस्ती)। खजूरी गांव में देर शाम बुद्ध पूर्णिमा समारोह धूमधाम से आयोजित किया गया। इस अवसर पर भगवान बुद्ध की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया और पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया गया।

कार्यक्रम में उपस्थित लोगों ने भगवान बुद्ध द्वारा दिए गए संदेशों का पालन करने का संकल्प लिया।

समारोह में पारिवारिक मिलन और सहभोज का भी आयोजन किया गया। इस मौके पर रामदीन, अवनीश राव, रामसंवारे, रंजीत कुमार, सोनू पेंटर, मनीष और दीपक भारती सहित कई अन्य लोग उपस्थित थे।

गया प्रसाद हत्याकांड में तीन पुलिसकर्मी निलंबित: एसपी ने विभागीय जांच का आदेश

–भारतीय बस्ती संवाददाता–

बस्ती। छावनी थाना क्षेत्र में हुए गया प्रसाद हत्याकांड में पुलिस विभाग पर कार्रवाई हुई है। मृतक के परिजनों द्वारा लापरवाही और रिश्वत मांगने के गंभीर आरोप लगाए जाने के बाद पुलिस अधीक्षक यशवीर सिंह ने तीन पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया है। इनमें एक चौकी प्रभारी भी शामिल हैं। परिजनों ने आरोप लगाया था कि ग्राम शंकरपुर टोला कुचुनपुरवा निवासी गया प्रसाद की संदिग्ध मौत के बाद उन्होंने पुलिस चौकी पर सूचना दी थी। इसके बावजूद पुलिस ने समय पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं की।

परिजनों ने चौकी प्रभारी शशि शेखर सिंह, आरक्षी काशीनाथ पाण्डेय और आरक्षी राहुल सिंह पर कार्रवाई के बदले रिश्वत मांगने का भी आरोप लगाया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक बस्ती ने तत्काल संज्ञान लिया और तीनों पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया। उन्होंने पूरे प्रकरण की विभागीय जांच के आदेश भी दिए हैं।

अधिकारियों ने बताया कि जांच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। गया प्रसाद हत्याकांड के संबंध में पुलिस पहले ही चार आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। अन्य आरोपियों की तलाश जारी है।

बस्ती में रेलवे की समस्याओं को लेकर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मिले पूर्व सांसद हरीश द्विवेदी

–भारतीय बस्ती संवाददाता–

बस्ती। असम प्रभारी एवं पूर्व सांसद हरीश द्विवेदी ने शुक्रवार को नई दिल्ली में रेल, सूचना एवं प्रसारण तथा इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव से शिष्टाचार भेंट कर बस्ती की रेलवे से जुड़ी विभिन्न जनसमस्याओं एवं मांगों को प्रमुखता से उठाया। उन्होंने जनपद की जनता की ओर से बस्ती रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म संख्या 1, 2 एवं 3 पर यात्रियों की संख्या को देखते हुए छाजन (शेड) की लंबाई बढ़ाई जाने, प्लेटफार्म संख्या 1 की लंबाई एवं चौड़ाई का विस्तार किये जाने, स्टेशन के पश्चिमी दिशा में स्वीकृत फुट ओवर ब्रिज का निर्माण कार्य शीघ्र प्रारम्भ कराने, वर्तमान फुट ओवर ब्रिज संकरा होने के कारण यात्रियों को असुविधा होती है, इसे चौड़ा एवं आधुनिक बनाने, गोरखपुर से मुंबई के बीच चलने वाली स्पेशल ट्रेन संख्या 01080, जिसे वर्तमान में बंद कर दिया गया है, उसे पुनः संचालित करने, बस्ती–अयोध्या एवं बस्ती–सिद्धार्थनगर नए रेल मार्ग का सर्वे पूर्ण हो चुका है, अतः निर्माण कार्य में शीघ्रता लाने, बस्ती रेलवे स्टेशन का अमृत भारत योजना के अंतर्गत चल रहा कायाकल्प कार्य अत्यंत धीमी गति से चल रहा है, इसे शीघ्र पूर्ण कराने, बस्ती एवं मुंडेरवा में निर्माणाधीन रेलवे ओवरब्रिज के कार्यों को तेज गति से पूरा कराने, बभनान रेलवे स्टेशन पर आम्रपाली एक्सप्रेस (15909–10) एवं अवध असम एक्सप्रेस (15707–08) का ठहराव सुनिश्चित करने, गौर रेलवे स्टेशन पर रेल आरक्षण सुविधा प्रारम्भ करने, यात्रियों हेतु वाटर कूलर की व्यवस्था , प्लेटफॉर्म का विस्तार, मुंडेरवा रेलवे स्टेशन पर मुंबई के लिए किसी अन्य ट्रेन का ठहराव सुनिश्चित करने,सांसद खेल महाकुंभ के दौरान किए गए अनुरोध के क्रम में रेलवे के किसी पीएसयू के सीएसआर मद से बस्ती स्टेडियम के चारों ओर सिंथेटिक ट्रैक एवं रात्रि खेल हेतु फ्लड लाइट की व्यवस्था कराने का आग्रह किया।

पूर्व सांसद हरीश द्विवेदी ने बताया कि मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सभी मांगों को गंभीरता से सुना और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्यवाही हेतु अपने सचिव के माध्यम से निर्देशित किया है।

हरीश द्विवेदी ने विश्वास व्यक्त किया कि इन मांगों के पूर्ण होने से जनपद बस्ती की जनता को रेलवे सुविधाओं में बड़ा लाभ मिलेगा तथा क्षेत्र के विकास को नई गति प्राप्त होगी।

कफ सिरप तस्करी के आरोपी विकास सिंह की संपत्ति फ्रीज

लखनऊ (आभा)। यूपी में कफ सिरप तस्करी मामले में बड़ा ऐक्शन हुआ है। कफ सिरप तस्करी में आरोपी बरदह के नरवें गांव निवासी विकास सिंह की आजमगढ़ और लखनऊ में 50.90 लाख रुपये की संपत्ति शुक्रवार को पुलिस और राजस्व विभाग की टीम ने फ्रीज कर दी। आरोप है कि उसने अवैध कमाई से गांव में मकान बनवाने के साथ ही लखनऊ में फ्लैट बुक कराया था।

पुलिस के अनुसार बरदह थाना क्षेत्र के नरवें गांव निवासी विकास सिंह कफ सिरप तस्करी में आरोपी है। उसके विरुद्ध दीदारगंज थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। साइबर थाना पुलिस की जांच में उसकी अवैध संपत्ति और कारोबार के नेटवर्क की जानकारी मिली थी।

जांच में पता चला कि विकास ने सिरप की तस्करी से मिले रुपये से अपने पैतृक गांव नरवें में मकान का निर्माण कराया है, जिसकी अनुमानित लागत करीब 27 लाख 25 हजार 393 रुपये है। इसके अलावा, लखनऊ के गोमती नगर एक्सटेंशन स्थित शालीमार वन वर्ल्ड परियोजना में आवासीय फ्लैट बुक कराया था, जिसकी कुल कीमत 1. 61 करोड़ रुपये है।

रोडवेज कर्मचारी परिषद ने किया अवैध बस संचालन रोकने, नियमितीकरण, भत्तों के भुगतान की मांग

–भारतीय बस्ती संवाददाता–

बस्ती। रोडवेज कर्मचारी संयुक्त परिषद, उत्तर प्रदेश ने शासन स्तर पर लंबित विभिन्न समस्याओं को लेकर एक व्यापक मांग–पत्र जारी किया है। परिषद ने निगम के हितों की अनदेखी पर कड़ा रुख अपनाते हुए चेतावनी दी है कि यदि जल्द ठोस निर्णय नहीं लिए गए तो कर्मचारी आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे।

परिषद की प्रमुख मांगों में राष्ट्रीयकृत मार्गों पर निजी बसों के अवैध संचालन और 'जग्गामारी' पर प्रभावी रोक लगाना शामिल है। उन्होंने मांग की है कि निगम के बस अड्डों की एक किलोमीटर परिधि में निजी बसों और चार पहिया वाहनों के संचालन पर पूर्ण प्रतिबंध सुनिश्चित किया जाए।

इसके अतिरिक्त, परिषद ने 'अखिल भारतीय पर्यटक परमिट' के नाम पर नियमों के उल्लंघन और निजी बसों के स्टेज कैरेज की तरह संचालन पर चिंता व्यक्त की। इसे निगम की आय और राज्य के राजस्व के लिए गंभीर खतरा बताते हुए तत्काल कार्रवाई की मांग की गई है।

मांग–पत्र में प्रदेश के एक्सप्रेसवे और हाईवे को राष्ट्रीयकृत मार्ग घोषित करने की भी बात कही गई है। साथ ही, निगम और निजी बसों पर लागू अतिरिक्त कर (यात्रीकर) की दरों में मौजूद असमानता को समाप्त करने और बकाया कर को अंशपूंजी में परिवर्तित करने की मांग की गई।

यात्री सुविधाओं को बेहतर बनाने के उद्देश्य से परिषद ने लंबी दूरी के मार्गों पर निगम द्वारा हाई–एंड लग्जरी बसों के संचालन की भी मांग उठाई है। इलेक्ट्रिक बसों के संचालन के संबंध में परिषद ने सुझाव दिया है कि नगर बस सेवा की तर्ज पर इनके संचालन में होने वाले व्यय और आमदनी के अंतर (वायबिलिटी गैप) को राज्य सरकार वहन करे।

इसके अतिरिक्त, निगम के हितों को प्रभावित करने वाली योजनाओं पर पुनर्विचार करने और बस स्टेशनों से निजी बसों के संचालन की प्रस्तावित योजनाओं को तत्काल रोकने की मांग भी की गई है।

कर्मचारी हितों से जुड़े मुद्दों पर परिषद ने 31 दिसंबर 2001 तक नियुक्त संविदा चालकों, परिचालकों और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के नियमितीकरण की मांग की है। साथ ही, 5 प्रतिशत महंगाई भत्ते के भुगतान और बकाया एरियर के निस्तारण की भी मांग उठाई गई।

परिषद ने वेतन विसंगतियों को दूर करने, रिक्त पदों पर नियमित भर्ती करने और आउटसोर्स कर्मियों को भर्ती में प्राथमिकता देने पर भी जोर दिया है। संविदा व आउटसोर्स कर्मियों के लिए स्पष्ट सेवा नियमावली, ईपीएफ की पूरी कटौती, ईएसआई व चिकित्सा सुविधा, न्यूनतम वेतन और अवकाश की व्यवस्था लागू करने की भी मांग उठाई गई। परिषद ने संविदा कर्मचारियों के पारिश्रमिक में कथित कटौती पर रोक लगाने की बात भी कही।

इस दौरान परिषद के पदाधिकारियों में क्षेत्रीय संरक्षक तिलक राम दुबे, क्षेत्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष अभिनव श्रीवास्तव, शाखा अध्यक्ष कन्हैया सिंह, शाखा मंत्री इंद्रजीत तिवारी, संयुक्त मंत्री मनीष श्रीवास्तव, संगठन मंत्री अमित पाल, मंडली अध्यक्ष हरीश उपाध्याय, कोषाध्यक्ष सुशील गौड़, क्षेत्रीय सदस्य जयप्रकाश यादव, कार्यशाला अध्यक्ष राममणी चौबे तथा कार्यशाला मंत्री राजेश मिश्रा प्रमुख रूप से उपस्थित रहे।

जूनियर इन्जीनियर अरुण कुमार पर जानलेवा हमले का मामला गरमाया: धरना देकर किया कार्रवाई की मांग

–भारतीय बस्ती संवाददाता–

बस्ती। बाढ कार्य खण्ड बलरामपुर में अधिशासी अभियन्ता की उपस्थिति में उनके कक्ष में खण्ड में कार्यरत जूनियर इन्जीनियर अरुण कुमार, पर विभाग के ही दबंग कर्मियों प्रारूपकार राजेश कुमार और वरिष्ठ सहायक विकास माथुर, अनिल कुमार मिश्र, शैलेन्द्र आदि द्वारा जान लेवा हमले का मामला गरमाता जा रहा है। शुक्रवार को सिविल डिप्लोमा इंन्जीयर्स संघ प्रदेश नेतृत्व के आवाहन पर संघ के अतिरिक्त महासचिव पूर्वी क्षेत्र ई. रवि यादव के नेतृत्व में पदाधिकारियों और अभियन्ताओं ने अधीक्षण अभियन्ता कार्यालय के समक्ष 1 मई मजदूर दिवस को धरना देने के साथ ही डीएम को ज्ञापन भेजा गया।

धरने में देवी पाटन मण्डल के मण्डल अध्यक्ष इ. हंसराज, उप महासचिव इ. सुनील, ई. राजमल वर्मा, इ. रामसभार, जितेन्द्र कुमार, रवि कुमार, धर्मेन्द्र दूबे, गुरू प्रकाश सन्त, अविनाश भारती, अमरेन्द्र पटेल, अजीत यादव, भोलेन्द्र यादव, सुभाष सिंह, धर्मेन्द्र, आर.के. सरोज के साथ ही अनेक इंजीनियरों ने जूनियर इन्जीनियर अरुण कुमार के साथ अभद्रता की घटना पर रोष व्यक्त किया।

मांग किया कि इस मामले में दोषियों के विरूद्ध तत्काल प्रभाव से कार्यवाही सुनिश्चत किया जाय। जब तक न्याय नहीं मिल जाता चरणबद्ध रूप में आन्दोलन जारी रहेगा।

श्रमिक दिवस पर 19 ने किया रक्तदान उप श्रमायुक्त ने बढाया हौसला

–भारतीय बस्ती संवाददाता–

बस्ती। अन्तर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस पर शुक्रवार को मेडिकल सेल्स रिप्रेजेन्टेटिव एसोसिएशन द्वारा श्रमिकों की याद में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया । एसोसिएशन अध्यक्ष राकेश कुमार उपाध्याय ने बताया कि पचपेडिया रोड स्थित बस्ती चैरिटेबल ब्लड बैंक पर एसोसिएशन से जुड़े 19 लोगों ने रक्तदान दिया।

मुख्य अतिथि उप श्रमायुक्त रचना केशरवानी ने कहा कि एसोसिएशन की पहल सराहनीय है। रक्तदान के द्वारा हम दूसरों के जान बचाने का माध्यम बनते है। डा. प्रवीन और एसोसिएशन के सचिव रंजीत श्रीवास्तव ने कहा कि श्रमिक दिवस पर रक्तदान करके सकारात्मक संदेश दिया गया है। बस्ती चैरिटेबल ब्लड बैंक पर एसोसिएशन द्वारा रक्तदान करने वालों को प्रमाण–पत्र देकर उत्साहवर्धन किया गया।

रक्तदान करने वालों में मेडिकल सेल्स रिप्रेजेन्टेटिव एसोसिएशन के राकेश कुमार उपाध्याय, उमंग शुक्ल, हरिओम चौधरी, सुनील कुमार राय, चंदन चौधरी, दुर्गेश दूबे, शानू कुमार, मनीष श्रीवास्तव, कयामुद्दीन, मुकुन्द मिश्र, शिवशंकर पाण्डेय, दीपक श्रीवास्व, अमित पाण्डेय, हिमांशु अस्थाना, अनिल उपाध्याय, सुनील श्रीवास्तव, मो. वसीम, पंकज पाण्डेय आदि शामिल रहे।

"मुझे अखबार निकालने दो तो मै इस बात की परवाह नहीं करता कि कौन धर्म का नियामक है और कौन कानून का निर्माता"–वेंडेल फिलिप्स

दैनिक
भारतीय बस्ती
बस्ती 2 मई 2026 शनिवार

सम्पादकीय

मरीज, आईसीयू और अदालत

अक्सर ऐसी खबरें सामने आती रहती हैं कि देश के किसी भाग में किसी निजी अस्पताल के आईसीयू में भर्ती मरीज के ठीक होने या ठीक होने की संभावना के बावजूद उसे डिस्चार्ज नहीं किया जाता है। वजह होती है कि अस्पताल का अनवरत गति से चलने वाला कमाई का मीटर। निस्संदेह, आधुनिक चिकित्सा खर्चीली हो गई और बेहतर सुविधाओं के लिए बड़ी रकम चुकानी होती है। लेकिन इस व्यवस्था का मानवीय व संवेदनशील होना अपरिहार्य है। इसके नियमन का कार्य यूं तो देश के नीति–नियंताओं और शासन–प्रशासन को करना चाहिए था। लेकिन विडंबना यह है कि अदालत को ऐसे मामलों में पहल करनी पड़ती है। हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एक समान गहन चिकित्सा ईकाई दिशानिर्देशों की जरूरत बताना विसंगतियों से जूझती आईसीयू प्रणाली के लिए एक आशा की किरण लेकर आई है। इन दिशानिर्देशों में यह निर्दिष्ट किया गया है कि चिकित्सकीय रूप से स्थिर हो चुके या जिन मरीजों के अंगों को बाहरी सहायता अथवा शारीरिक निगरानी की आवश्यकता नहीं होती, उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी जानी चाहिए। उन्हें अन्य सामान्य वार्डों में स्थानांतरित किया जा सकता है। निश्चित रूप से न्यायालय के ये निर्देश चिकित्सकीय और नैतिक दोनों ही हैं। जो बताते हैं कि जरूरी न होने के बावजूद मरीज को लंबे समय तक आईसीयू में रखना अनुचित है। यह एक हकीकत है कि मानकीकृत आईसीयू प्रोटोकॉल के अभाव में एक अस्पष्ट स्थिति पैदा हो जाती है, जिसकी वजह से मरीज से जुड़े निर्णय असमंजस का शिकार होकर रह जाते हैं। वास्तव में आईसीयू में भर्ती मरीजों के तिमारदारों को चिकित्सा प्रक्रिया की गहन जानकारी अक्सर नहीं होती है। वे केवल चिकित्सक के दिशा–निर्देशों पर ही निर्भर होकर रह जाते हैं। यही वजह है कि अस्पताल प्रबंधन के रहमो–करम पर मरीज को महंगे आईसीयू में लंबे समय तक भर्ती रहने को मजबूर होना पड़ता है। कई बार ऐसा भी होता है कि गहन चिकित्सा कक्ष में भर्ती रहने के बावजूद मरीज को उपचारीय लाभ नहीं मिल रहा होता है। सही मायनों में सुप्रीम कोर्ट के ये दिशानिर्देश एक सरल व सामान्य सिद्धांत की पुष्टि करते हुए इस विसंगति को दूर करने का प्रयास करते हैं कि किसी भी अस्पताल का आईसीयू मरीज की अनिश्चितकालीन देखभाल के लिए नहीं होता है। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि शीर्ष अदालत ने समस्या के यथाशीघ्र समाधान की जरूरत पर बल दिया है। अदालत ने डॉक्टरों की प्रतिष्ठा को संरक्षित करते हुए चिकित्सा संस्थानों व अस्पतालों की जवाबदेही सुनिश्चित करने पर बल दिया है। इस दिशा में व्यवस्थागत मुद्दों पर जोर दिया गया है, जिसमें नर्स व मरीज के अनुपात, विशेषज्ञ पर्यवेक्षण, मानक बुनियादी ढांचा और प्रशिक्षण पर ध्यान केंद्रित कराना एक सराहनीय पहल कही जाएगी। निश्चित रूप से भारत जैसे देश में जहां स्वास्थ्य सेवा की गुणवत्ता में भारी असमानता है, ये न्यूनतम मानदंड अधिक न्यायसंगत देखभाल के लिए आधार बन सकते हैं। सही मायनों में राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की पहचान करने और समयबद्ध कार्य योजना तैयार करनी चाहिए। साथ ही निर्देश नीति के क्रियान्वयन हेतु तत्परता दिखानी चाहिए। लेकिन विगत के अनुभव बताते हैं कि एक अच्छे इरादे वाली कार्ययोजना तब अपने लक्ष्य पाने में विफल हो जाती हैं जब उसका क्रियान्वयन आधे–अधूरे ढंग से किया जाता रहा है। निश्चित रूप से निगरानी ढांचे और समन्वित राष्ट्रीय स्तर की कार्रवाई पर अदालत की पहल सही दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। लेकिन इसकी अनुपालन की सफलता राजनीतिक इच्छाशक्ति, वित्त पोषण और प्रशासनिक क्षमता पर निर्भर करेगी। साथ ही दक्षता के अलावा, मानवीय पहलू को भी नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। गहन चिकित्सा कक्ष में लंबे समय तक भर्ती रहना मरीजों और उनके परिवारों के लिए बेहद कष्टदायक होता है। स्थिर मरीजों को कम स्तर पर देखभाल की जरूरत वाले वार्डों में स्थानांतरित किए जाने से न केवल अनावश्यक चिकित्सा खर्च बचता है। बल्कि यह मानवीय दृष्टिकोण का भी परिचायक है। निश्चित रूप से आईसीयू के लिए एकसमान मानदंड लागू करने का प्रयास भारत की स्वास्थ्य प्रणाली में पारदर्शिता लाने और तर्कसंगत निर्णय लेने को बढ़ावा देने वाला साबित हो सकता है।

जहरीला भाषण और तंत्र

पिछले कुछ वर्षों के दौरान देश की राजनीति में लोगों के बीच नफरत फैलाने वाले बयानों या भड़काऊ भाषणों के जरिए सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने की कोशिशें चिंता का कारण बनती रही हैं। ऐसे अनेक मौके सामने आए, जिनमें किसी नेता पर राजनीतिक स्वार्थ साधने या फायदा उठाने की मंशा से ऐसी बयानबाजियां करने या नारे लगाने के आरोप लगे, जिससे सामाजिक सद्भाव बिगड़ने की आशंका पैदा हुई। मगर ऐसे नेताओं को जहां कानून के कठघरे में खड़ा किया जाना चाहिए था, वहां उनके प्रति पुलिस या शासन–तंत्र ने एक तरह से नरम रवैया अपनाया।

शायद इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल कर बढ़ते नफरती भाषणों की समस्या से निपटने के लिए दिशानिर्देश जारी करने की मांग की गई थी। मगर इस मसले पर सुनवाई के बाद अदालत ने कहा कि वर्तमान कानून का ढांचा लोगों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने, धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने या सार्वजनिक शांति को भंग करने वाली हरकतों से सक्षम तरीके से निपटता है। इसमें भारतीय दंड संहिता और अन्य संबंधित कानूनों के प्रावधान शामिल हैं।

जाहिर है, मौजूदा कानूनी प्रावधानों के संदर्भ में अदालत ने एक तरह से स्थिति स्पष्ट कर दी है। मगर इससे इतर नफरती भाषणों के जरिए अगर लोगों के बीच विद्वेष फैलाने की कोशिश की जाती है, तो इसकी नए सिरे से व्याख्या करने और उसे कानूनी दायरे में लाने की जरूरत है। इस संदर्भ में अदालत ने स्पष्ट किया कि अपराध की व्याख्या या उसे परिभाषित करना और सजा तय करना पूरी तरह विधायिका के अधिकार क्षेत्र में आता है। ऐसे में अदालत केवल सुधारों की जरूरत की ओर विधायिका और कार्यपालिका का ध्यान खींच सकती है।

अदालत की यह टिप्पणी अहम है कि नफरती भाषणों के संदर्भ में याचिकाकर्ताओं की शिकायत कानून के अभाव में नहीं, बल्कि उसके लागू होने में कमी से पैदा होती है। ऐसी शिकायतें आम रही हैं कि कानूनी प्रावधान होने के बावजूद कई मामलों में पुलिस या तो आरोपों की अनदेखी करती है या फिर कमजोर धाराओं के तहत मामला दर्ज करती है। नतीजतन, जिन गतिविधियों की वजह से आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए थी, उसके विरुद्ध कानून लाचार नजर आता है।

दरअसल, हाल के वर्षों में कुछ नेताओं ने न केवल लोगों की भावनाएं भड़काने वाले भाषण दिए, बल्कि इस बात का खयाल रखना भी जरूरी नहीं समझा कि इससे देश में अलग–अलग समुदायों के बीच सद्भाव को नुकसान पहुंच सकता है और विषम हालात भी पैदा हो सकते हैं। मगर ऐसे आपत्तिजनक भाषण देने वाले लोगों के खिलाफ ठोस कार्रवाई करने को लेकर सरकारों के भीतर ईमानदार इच्छाशक्ति का अभाव दिखता रहा है। यह ध्यान रखने की जरूरत है कि इस तरह की प्रवृत्ति की अनदेखी करने या सुविधाजनक तरीके से कुछ नेताओं के नफरती भाषणों के प्रति आंखें मूंद लेने का नुकसान आखिरकार आम जनता और देश को उठाना पड़ेगा।

शीर्ष अदालत ने भी इसी संदर्भ में कहा कि नफरती भाषण और अफवाह फैलाने से जुड़े मुद्दे सीधे तौर पर भाईचारे, गरिमा और संवैधानिक व्यवस्था के संरक्षण से जुड़े हैं। कायदे से कुछ संवेदनशील स्थितियों के बावजूद अगर मौजूदा कानूनी प्रावधानों का दायरा सीमित है, तो यह केंद्र और राज्य सरकारों पर निर्भर है कि वे बदलते परिदृश्यों तथा चुनौतियों के मद्देनजर आगे किसी ठोस कानूनी उपाय की जरूरत पर विचार करें।

विकास का एक्सप्रेस वे बनेगा गंगा एक्सप्रेस वे

–मृत्युंजय दीक्षित–

उत्तर प्रदेश में अवस्थापना विकास के क्रम में निर्मित गंगा एक्सप्रेस वे आम जनमानस के लिए खुल रहा है जिसे प्रदेश के विकास में मील का पत्थर माना जा रहा है। 594 किलोमीटर लंबा गंगा एक्सप्रेस वे प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र (दिल्ली–एनसीआर) को पूर्वी क्षेत्र से जोड़ने वाला पहला सीधा हाई स्पीड एक्सप्रेस वे है। इस परियोजना पर 36,230 करोड़ की लागत आई है। यह एक्सप्रेस वे मेरठ के बिजौली गाँव से प्रारंभ होकर बुलंदशहर, हापुड़, अमरोहा, शाहजहांपुर, संभल, बंदायू, उन्नाव, हरदोई, प्रतापगढ़, रायबरेली होते हुए प्रयागराज जिले के जुडापुर दांदू गांव तक जाएगा। इस एक्सप्रेस वे के प्रारंभ हो जाने के बाद देश के एक्सप्रेस वे नेटवर्क में यूपी की हिस्सेदारी 60 प्रतिशत हो जाएगी और परियोजनाओं की कुल लंबाई 1910 किमी हो जाएगी। छह लेन का यह एक्सप्रेस वे पूरी तरह ग्रीनफील्ड व एक्सेस–कंट्रोल्ड है। इसमें 3.75 मीटर चौड़ी सर्विस रोड, 17 टोल प्लाजा 8 मुख्य पुल और 381 अंडरपास शामिल हैं।

यह भारत का पहला ऐसा एक्सप्रेस है जिस पर होटल, ढाबा और ईवी चार्जिंग स्टेशन से लेकर अस्पताल तक बनाए गए हैं। इस एक्सप्रेस वे पर विश्वस्तरीय फूड चेन और मोटेल तक की सुविधाएं मिलेगी। 594 किमी लंबे इस एक्सप्रेस वे का 80 प्रतिशत निर्माण अडानी इंटरप्राइजेज ने किया है। अडानी ने प्रयागराज से बदायूं तक 464 किमी लंबा एक्सप्रेस वे बनाया है जबकि शेष 20 प्रतिशत आईआरबी इंफ्रास्ट्रक्चर ने बनाया है।

एक्सप्रेस वे मतल्टीनेशनल चेन भी उपलब्ध– एक्सप्रेस वे पर लखनऊ के खानपान और चिकनकारी की झलक दिखाई पड़ेगी। इस वे पर एक बड़ा डाइनिंग फूड एरिया विकसित किया गया है। पहली बार किसी एक्सप्रेस वे पर ट्रक लेन बनाया गया है। मोटेल भी तैयार हो गया है जहां विश्राम के लिए अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त कमरे उपलब्ध हैं। स्टारबक्स जैसे बड़े ब्रांड के साथ गंगा भोग ढाबा भी है। इसमें लोकप्रिय मुरथल ढाबे को लाने का भी प्रयास चल रहा है। यहां पर एक ट्रामा सेन्टर भी तैयार किया गया है। एक्सप्रेस वे पर सुविधा केंद्रों में बच्चों के लिए चिल्ड्रन प्ले एरिया भी बनाया गया है जहां बच्चों के खेलने के लिए झूला पार्क भी बनाया गया है।ड्राइवरों के लिए भी अलग–अलग विश्राम एरिया बनाया गया है। हर क्षेत्र में वाहनों के लिए सर्विस सेंटर बनाया गया है। यह एक्सप्रेस वे 12 जिलों को जोड़ते हुए प्रयागराज से मेरठ की दूरी मात्र 6 घंटे में समेट देगा। वाहनों की 120 किमी प्रति घंटा गति, एयर स्ट्रिप, हाईटेक टोल और दुर्घटना रोकने वाली अलर्ट स्ट्रिप्स जैसी आधुनिक सुविधाओं से लैस यह एक्सप्रेस वे प्रदेश की कनेक्टिविटी के परिदृश्य को बदलकर रख देगा।

वायुसेना के लिए भी अहम बनेगा एक्सप्रेस वे– यह एक्सप्रेस वे नागरिकों का सफर आसान बनाने के साथ ही भारतीय वायुसेना की ताकत भी बनने वाला है। एक्सप्रेस वे पर शाहजहांपुर के जलालाबाद में 3.5 किमी की हवाई पट्टी का भी निर्माण किया गया है। आपातकालीन स्थिति व युद्ध होने पर रणनीतिक तौर पर यह हवाई पट्टी लड़ाकू विमानों के उतरने व उड़ान भरने के लिए भी इस्तेमाल की जा सकेगी। इस हवाई पट्टी का निर्माण सभी प्रकार के लड़ाकू व परिवहन विमानों के हिसाब से किया गया है। इस पर राफेल सुखोई–0 एमकेआई मिराज 2000 जगुआर और मिग 29 जैसे लडाकू और सी–130 जे सुपर हरक्यूलिस और एएन –32 जैसे वायुसेना के विमान उतरने के साथ–साथ उड़ान भी भर सकेंगे। इस पर रात में भी लड़ाकू विमानो के उतरने और उड़ान भरने की सुविधा होगी। इसके लिए एक्सप्रेस वे पर प्रीसिजन अप्रोच लाइटिंग सिस्टम व उन्नत नेविगेशन सिस्टम का इस्तेमाल किया गया है। साथ ही इाई इंटेसिटी रनवे लाइटिंग का उपयोग किया गया है। हवाई पट्टी की सुरक्षा के लिए 250 से अधिक सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। जो किसी भी आपातकालीन स्थिति पर नजर रखने के लिए सहायक हैं। इस एक्सप्रेस वे का संचालन पूरी तरह आरम्भ हो जाने के बाद 12 जिलों के औद्योगिक विकास को गति मिलेगी जिससे क्षेत्र के युवाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे तथा पलायन कम होगा। प्रदेश सरकार की योजना इसके किनारे 27 औद्योगिक क्लस्टर बनाने की है जिसके लिए भूमि का अधिग्रहण हो चुका है और आवंटन चल रहा है। इससे रसद आपूर्ति, खाद्य प्रसंस्करण वस्त्र उद्योग और विनिर्माण क्षेत्र को नई ऊर्जा मिलेगी। मेरठ के खेल उद्योग, हापुड़ के हथकरघा, बंदायू के जरी जरदोजी और प्रयागराज के कृषि उत्पादों को अब दिल्ली और पूर्वांचल के बाजारो तक पहुंचना आसान होगा। प्रमुख विशेषताएं– इस एक्सप्रेस वे की पूरी सड़क पर जल संचयन प्रणाली लगाई गई है ताकि वर्षा का जल सीधे जमीन के अंदर जाए और भूजल स्तर पर बना रहे। यह भारत का सबसे लंबा निरंतर नियंत्रित प्रवेश एक्सप्रेस वे है जहां आवारा पशुओं व स्थानीय यातायत के अनियंत्रित प्रवेश को पूरी तरह से रोका गया है। यह परियोजना टिकाऊ इंजीनियरिंग का एक बेहतरीन उदाहरण है। इसके निर्माण में भारी मात्रा में कोयले की राख का उपयोग किया गया है जो प्रदूषणा कम करने में सहायक है। पहले सभ्यताएं नदियों के किनारे बसती थीं किंतु अब एक्सप्रेस वे के किनारे होती हैं इसे ध्यान मे रखते हुए एक्सप्रेस वे किनारे 18 लाख से अधिक पेड़ लगाने का लक्ष्य रखा गया है। गंगा एक्सप्रेस वे के निर्माण की गुणवत्ता को एक्सीलेंट रेटिंग मिली है।

विशिष्ट सुरक्षा तकनीक भी– यहां पर विशिष्ट सुरक्षा तकनीक का प्रयोग किया गया है। सड़क के दोनों किनारों पर व्हाइट एलर्ट स्ट्रिप लगाई गई है। यदि किसी चालक को झपकी आ जाए और वाहन इन स्ट्रिप पर चढ़ जाए तो तेज कंपन और आवाज पैदा होगी जिससे चालक तुरंत सतर्क हो जाएगा और दुर्घटना टल जाएगी। इस सड़क पर चलने के दौरान झटके और कंपन महसूस नही होंगे।

मंदिर आर्थिकी व पर्यटन को गति मिलेगी– गंगा एक्सप्रेस वे का निर्माण हो जाने के बाद अब मंदिर आधारित आर्थिकी व पर्यटन को भी गति मिलेगी। यह एक्सप्रेस वे यात्रा को ही आसान नहीं करेगा अपितु प्रदेश में आध्यात्मिक व धार्मिक पर्यटन को भी बढ़ावा देगा। 12 जिलों से होकर गुजरने वाले इस एक्सप्रेस वे से प्रमुख आध्यात्मिक व धार्मिक स्थल जुड़ रहे हैंदृ इनमें गढ़मुक्तेश्वर, कल्कि धाम, बेल्हा देवी धाम, चंद्रिकादेवी शक्ति पीठ और त्रिवेणी संगम शामिल हैं। एक्सप्रेस वे शुरू हो जाने के बाद श्रद्धालु इन तीर्थों के दर्शन आसानी से कर सकेंगे। आगामी समय में वाराणसी, मिर्जापुर और सोनभद्र तक इसका विस्तार किया जिससे वाराणसी, विन्ध्याचल और अयोध्या आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या में वृद्धि होगी।

– मृत्युंजय दीक्षित (इस लेख में लेखक के अपने विचार हैं।)

कारपोरेट व्यवस्था में श्रमिक हितों के संरक्षण की जरूरत

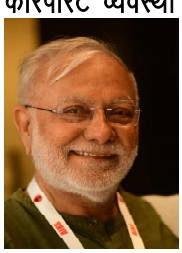

–इन्द्रजीत सिंह–

एक मई को सभी देशों के श्रमिक इकट्ठे होकर शोषण, उत्पीड़न व अन्याय वाली व्यवस्था में बदलाव कर समानता का लक्ष्य आगे बढ़ाने का संकल्प लेते हैं। अपनी एकता प्रदर्शित करते हैं जो नये श्रम कानूनों व श्रमिक हितों की मौजूदा चुनौतियों के चलते और अधिक महत्वपूर्ण है। इस साल मई दिवस यानी मजदूर दिवस अभूतपूर्व परिस्थितियों में आया है। बीते दिनों राष्ट्रीय राजधानी के चारों ओर हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान के औद्योगिक क्षेत्रों में श्रमिक असंतोष सड़कों पर प्रकट हुआ। ऑटोमोबाइल, गारमेंट जैसे उद्योगों में कार्यरत श्रमिकों की प्रमुख मांगें न्यूनतम वेतन में बढ़ोतरी और प्रतिदिन आठ घंटे से ज्यादा काम लेने पर दोगुना ओवरटाइम थीं। ऐसी मांगों को शायद ही कोई अनुचित कह सके। लेकिन मानेसर, गुड़गांव, भिवाड़ी और नोएडा में फूटे आक्रोश को शांत करने के लिए श्रमिकों की सुनवाई करने की बजाय उन पर पुलिस बल का प्रयोग किया गया। कई गिरफ्तार कर जेल भेजे गए। पिछले दिनों ऐसी ही स्थिति पानीपत रिफाइनरी के श्रमिकों के असंतोष के रूप में सामने आयी।

शासन–प्रशासन की ओर से श्रमिकों के इस स्वतरूस्फूर्त असंतोष के पीछे कथित संदिग्ध ताकतों का हाथ बताकर पूरे मामले को रहस्यमय बनाने की कोशिश की। लेकिन असंतोष अभी भी कायम है। वहीं ऊर्जा संकट के कारण गुजरात जैसे प्रदेशों से मजदूर पलायन कर गए हैं। इस ताजा घटनाक्रम के विस्तार में जाने से पहले एक नजर मई दिवस के इतिहास पर डालना जरूरी है। मई दिवस की शुरुआत साल 1886 में अमेरिका के शिकागो शहर में मई महीने के पहले सप्ताह में हजारों औद्योगिक मजदूरों द्वारा की गई हड़ताल से हुई थी। सड़कों पर आकर 8 घंटे का कार्य दिवस और कार्यस्थल पर सम्मानजनक व्यवहार की मांग को लेकर रोष प्रदर्शनों से निपटने के लिए पुलिस द्वारा की गई गोलीबारी में कुछ मजदूर शहीद हुए। बाद में हिंसा फैलाने के मनगढ़ंत आरोपों में मुकदमे चलाकर 6 श्रमिक नेताओं को मृत्युदंड दिया गया। तभी से दुनिया के श्रमिक अपने उन शहीद साथियों को याद करते हैं जिनकी कुर्बानियों से इस मानवीय नियम को अंतर्राष्ट्रीय स्वीकार्यता मिली जिसके तहत आठ घंटे काम, आठ घंटे नींद और आठ घंटे परिवार के साथ बिताना। 1889 में पेरिस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सोशलिस्ट कांग्रेस के आह्वान पर 1890 में 1 मई को पहली बार मई दिवस दुनियाभर में मनाया गया। तब से सभी देशों के श्रमिक 1 मई के दिन अपने–अपने शहरों में इकट्ठे होकर शोषण, उत्पीड़न वाली व्यवस्था में बदलाव कर गरिमामय जीवन व समतामूलक समाज की स्थापना के लक्ष्य को आगे बढ़ाने का संकल्प लेते हैं। अन्याय के खिलाफ वे अपनी एकता प्रदर्शित करते हैं। वे साम्राज्यवादी ताकतों के साथ किये जा रहे व्यापार समझौतों के विरोध में अपने–अपने देशों की मार्केट और संप्रभुता की हिफाजत में खड़े होते हैं और युद्धों का विरोध करते हुए विश्व शांति के पक्ष में संकल्प लेते हैं। बहरहाल, इस समय अमेरिका– इस्राइल और ईरान युद्ध का खमियाजा पूरे विश्व के आम लोगों को भुगतना पड़ रहा है। हमेशा की तरह पूंजीवादी सिस्टम के तहत कार्पोरेट जगत अपने मुनाफे की दर बनाए रखने हेतु संकट का बोझ किसान व मजदूर वर्ग के ऊपर डालने के रास्ते पर चल रहा है। ऐसे हाल में गैस की कीमतें बढ़ने से कंपनियों को अपने मुनाफे बनाए रखने के लिए श्रमिकों के काम के घंटे बढ़ाना आसान विकल्प दिखाई देता है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के श्रमिकों को खाड़ी युद्ध की वजह से ऊर्जा के दाम बढ़ने और बेतहाशा महंगाई के कारण 8–10 हजार रुपये के मामूली वेतन में गुजारा करना असंभव हो गया। मकान किरायों में बढ़ोतरी, बच्चों की स्कूल फीस व स्वास्थ्य खर्च वृद्धि आदि के कारण मजदूर अपना गुजारा नहीं चला सकते हैं। आंदोलन भड़कने के उपरांत आनन–फानन में राज्य सरकारों ने न्यूनतम वेतन में जो वृद्धि की है वह नाकाफी है बल्कि उनका अनुपालन नहीं करवाया जाता है। इसके अलावा एक बड़ा हिस्सा ऐसा भी है जिसे 'पीस रेट' के तहत लगाया हुआ है। संगठित क्षेत्र के ये ऐसे मजदूर हैं जो असंगठित हैं। इनकी कोई वैधानिक सामाजिक सुरक्षा व दुर्घटनाओं से सुरक्षा नहीं जबकि जोखिमपूर्ण कार्य स्थितियों में इन्हें काम करना पड़ता है। शोषण के शिकार ऐसे तबकों का आवाज उठाना स्वाभाविक है। बता दें कि नव–उदारवाद के दौर में कार्पोरेट के मंसूबों के चलते वर्ष 2020 में सभी 29 श्रम कानूनों को हटाकर उनकी जगह पर चार श्रम संहिता (लेबर कोड) संसद में पारित किए गए। ट्रेड यूनियनों के तीखे विरोध के बावजूद 21 नवंबर 2025 में इन्हें लागू करने की अधिसूचना जारी कर दी गई।

देश की सभी प्रमुख ट्रेड यूनियनों का मानना है कि चार श्रम संहिता लागू होने की स्थिति में काम के घंटों में वृद्धि होगी, यूनियनों का पंजीकरण करवाना कठिन होगा, हड़ताल करने पर दंडात्मक कारवाई की जा सकेगी, स्थाई रोजगार की बजाय ठेका प्रणाली का प्रचलन बढ़ेगा और भर्ती व हटाना आसान होगा। यही नहीं, 300 तक श्रमिक संख्या वाले उद्योगों को श्रम विभाग की अनुमति के बिना मजदूरों को हटाने की छूट रहेगी। इसके चलते श्रम विभाग निरर्थक होकर रह जाएगा वहीं श्रमिकों की स्थिति बंधुआ जैसी हो सकती है। लेबर कोड के पक्ष में जैसी दलीलें दी जा रही हैं ठीक वैसी तीन कृषि कानूनों के संबंध में दी गई थी जिन्हें आंदोलन के बाद वापस करवाया गया था। इस समय मजदूरों के साथ किसान संगठन भी खड़े हो रहे हैं। जो आशाजनक संकेत कहे जा सकते हैं।

लेखक अखिल भारतीय किसान सभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं।

परिवर्तन, चुनौतियां और संभावनाओं का नया युग

–पंकज यादव–

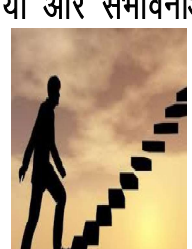

आज का समाज एक ऐसे दौर से गुजर रहा है, जहाँ परिवर्तन केवल एक प्रक्रिया नहीं बल्कि जीवन का स्थायी स्वरूप बन चुका है। विज्ञान और तकनीक की तीव्र प्रगति, सामाजिक संरचनाओं में बदलाव, आर्थिक प्रतिस्पर्धा का विस्तार और वैश्विक प्रभावों की बढ़ती पहुँच ने हमारे परिवेश को पहले से कहीं अधिक जटिल, गतिशील और बहुआयामी बना दिया है। यह परिवेश एक ओर अभूतपूर्व अवसर प्रदान करता है, तो दूसरी ओर अनेक गंभीर चुनौतियों को भी जन्म देता है। ऐसे समय में यह आवश्यक हो जाता है कि हम इन परिवर्तनों को केवल स्वीकार ही न करें, बल्कि उन्हें समझते हुए उनका सही दिशा में उपयोग भी करें। 21वीं सदी को यदि तकनीकी युग कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। इंटरनेट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्मार्टफोन और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स ने हमारे जीवन को अत्यंत सरल और तेज बना दिया है। आज शिक्षा ऑनलाइन उपलब्ध है, स्वास्थ्य सेवाएँ डिजिटल माध्यम से सुलभ हैं और व्यापार वैश्विक स्तर पर विस्तार पा चुका है। डिजिटल इंडिया जैसे अभियानों ने गाँव–गाँव तक इंटरनेट पहुँचाने का कार्य किया है, जिससे सूचना का लोकतंत्रीकरण संभव हुआ है।

किन्तु इस तकनीकी प्रगति के साथ कई समस्याएँ भी उभर कर सामने आई हैं। सोशल मीडिया का अत्यधिक उपयोग लोगों को आभासी दुनिया में ले जा रहा है, जिससे वास्तविक संबंध कमजोर पड़ रहे हैं। फेक न्यूज और गलत सूचनाओं का प्रसार समाज में भ्रम और तनाव उत्पन्न कर रहा है। इसके अलावा, युवाओं में मानसिक तनाव, अवसाद और अकेलेपन की भावना भी बढ़ती जा रही है। तकनीक जहाँ सुविधा देती है, वहीं यदि उसका विवेकपूर्ण उपयोग न किया जाए तो वह संकट का कारण भी बन सकती है। इसलिए आज आवश्यकता इस बात की है कि तकनीक को साधन के रूप में अपनाया जाए, न कि उसे अपने ऊपर हावी होने दिया जाए। डिजिटल साक्षरता और जागरूकता को बढ़ावा देना समय की मांग है। समाज का स्वरूप भी तेजी से बदल रहा है। पहले जहाँ संयुक्त परिवार प्रणाली प्रचलित थी, वहीं अब एकल परिवारों की संख्या बढ़ रही है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता को महत्व दिया जा रहा है, जो एक सकारात्मक परिवर्तन है। महिलाओं की शिक्षा और रोजगार में भागीदारी बढ़ी है, जिससे समाज में लैंगिक समानता की दिशा में प्रगति हुई है।

किन्तु इसके साथ ही सामाजिक मूल्यों में गिरावट भी देखने को मिल रही है। परिवारिक संबंधों में दूरी, बुजुर्गों की उपेक्षा और नैतिक मूल्यों का क्षरण चिंता का विषय है। आधुनिकता के नाम पर कई बार हमारी सांस्कृतिक जड़ें कमजोर पड़ती दिखाई देती हैं। यह आवश्यक है कि हम परंपरा और आधुनिकता के बीच संतुलन स्थापित करें। हमें अपनी सांस्कृतिक विरासत को संजोते हुए आधुनिक सोच को अपनाना होगा। तभी समाज में स्थायित्व और संतुलन बना रह सकता है। आर्थिक दृष्टि से वर्तमान समय अत्यंत महत्वपूर्ण है। भारत जैसी उभरती अर्थव्यवस्था में स्टार्टअप संस्कृति, डिजिटल भुगतान प्रणाली और वैश्विक निवेश ने नए अवसरों के द्वार खोले हैं। युवाओं के लिए नए–नए करियर विकल्प सामने आ रहे हैं।

हालाँकि, इस विकास के साथ–साथ असमानता भी बढ़ रही है। अमीर और गरीब के बीच की खाई और चौड़ी होती जा रही है। बेरोजगारी एक बड़ी समस्या के रूप में उभर रही है, विशेषकर शिक्षित युवाओं के बीच। कौशल की कमी और शिक्षा प्रणाली की सीमाएँ भी रोजगार की राह में बाधा बन रही हैं। इस स्थिति में सरकार और समाज दोनों की जिम्मेदारी है कि वे कौशल विकास कार्यक्रमों को बढ़ावा दें, रोजगार सृजन के अवसर उत्पन्न करें और आर्थिक समानता सुनिश्चित करने के लिए ठोस कदम उठाएँ। "आत्मनिर्भर भारत" जैसे प्रयास तभी सफल होंगे जब हर वर्ग को विकास का समान अवसर मिलेगा। आज का परिवेश केवल सामाजिक और आर्थिक ही नहीं, बल्कि पर्यावरणीय दृष्टि से भी गंभीर संकट का सामना कर रहा है। बढ़ता प्रदूषण, जल संकट, वनों की कटाई और जलवायु परिवर्तन मानव जीवन के लिए खतरा बनते जा रहे हैं। शहरों में वायु प्रदूषण खतरनाक स्तर तक पहुँच चुका है, जिससे स्वास्थ्य समस्याएँ बढ़ रही हैं। नदियों का प्रदूषण और भूजल स्तर में गिरावट भविष्य के लिए गंभीर चेतावनी है। जलवायु परिवर्तन के कारण असामान्य मौसम, बाढ़ और सूखा जैसी घटनाएँ बढ़ रही हैं।

यदि समय रहते इन समस्याओं पर ध्यान नहीं दिया गया, तो आने वाली पीढ़ियों को इसका भारी खामियाजा भुगतना पड़ेगा। पर्यावरण संरक्षण अब केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि हर नागरिक का कर्तव्य है। हमें सतत विकास (नेजंपदंइसम क्मअमसवचउमदज) के सिद्धांत को अपनाना होगा, जिसमें विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन बना रहे। आज का युवा वर्ग इस परिवेश का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। वही देश का भविष्य निर्धारित करेगा। लेकिन वर्तमान में युवा कई चुनौतियों से जूझ रहा हैकृकरियर की अनिश्चितता, प्रतिस्पर्धा का दबाव और मानसिक तनाव। शिक्षा प्रणाली में सुधार की आवश्यकता है ताकि वह केवल डिग्री देने तक सीमित न रहे, बल्कि व्यावहारिक ज्ञान और कौशल भी प्रदान करे। डिजिटल शिक्षा के साथ–साथ नैतिक शिक्षा पर भी ध्यान देना आवश्यक है।

युवाओं को सकारात्मक दिशा में प्रेरित करना, उन्हें रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना और उनके मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना समाज की प्राथमिक जिम्मेदारी होनी चाहिए। वैश्वीकरण ने दुनिया को एक छोटे गाँव में बदल दिया है। आज हम दुनिया के किसी भी कोने से जुड़ सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं और ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। यह एक सकारात्मक पहलू है। किन्तु इसके साथ ही हमारी सांस्कृतिक पहचान पर भी खतरा मंडराने लगा है। विदेशी संस्कृति का प्रभाव हमारी जीवनशैली और मूल्यों को प्रभावित कर रहा है। इसलिए आवश्यक है कि हम वैश्विक अवसरों का लाभ उठाते हुए अपनी पहचान को बनाए रखें। इन सभी चुनौतियों के बीच एक बात स्पष्ट है कि समाधान केवल नीतियों या योजनाओं में नहीं, बल्कि हमारी सोच और व्यवहार में भी निहित है। यदि प्रत्येक नागरिक अपने कर्तव्यों को समझे और जिम्मेदारी के साथ कार्य करे, तो कई समस्याएँ स्वतः समाप्त हो सकती हैं। नैतिक मूल्यों का पुनर्स्थापन, सामाजिक सहयोग और सामूहिक प्रयास ही एक स्वस्थ समाज की नींव रख सकते हैं।

अन्तर्राज्यीय चोर गिरोह के 7 लोग गिरफ्तार, भीख मांगने की आड़ में करते थे चोरी, जेवरात बरामद

संवाददाता–गोण्डा। नगर कोतवाली पुलिस ने भीख मांगने की आड़ में चोरी करने वाले एक अंतरराज्यीय गिरोह का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने इस मामले में चार महिलाओं सहित सात आरोपियों को गिरफ्तार किया है। यह गिरोह भीड़भाड़ वाले स्थानों जैसे बस अड्डों और बाजारों में महिलाओं के बैग और पर्स से सोने–चांदी के आभूषण चुराता था। गिरफ्तार किए गए आरोपियों में अनीशा, निप्ती, अन्नू देवी, प्रियंका और गोविंदा हरि ओम शामिल हैं, जो बिहार के अकोड़ी थाना क्षेत्र के निवासी हैं। इनके साथ उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर निवासी अखिलेश को भी गिरफ्तार किया गया है। पुलिस इन सभी के खिलाफ आगे की कानूनी कार्रवाई कर रही है। आरोपियों के पास से चोरी किए गए आभूषण बरामद किए गए हैं। इनमें एक मंगलसूत्र, चार अंगूठी, एक नथुनी सायरा, दो जोड़ी झुमकी, 16 जोड़ी बिछुआ, दो जोड़ी पायल, एक जोड़ी हाथ पलानी और तीन सफेद धातु के सिक्के शामिल हैं।

पुलिस ने बताया कि 29 अप्रैल को गोंडा बस अड्डे पर एक ई–रिक्शा में बैठी महिला के बैग से तीन सोने की अंगूठियां चोरी हुई थीं। इसके अगले दिन, 30 अप्रैल को भी बस अड्डे पर एक अन्य महिला के बैग से मंगलसूत्र, कान का झाला, नथुनी सायरा और कुछ नकदी चोरी हो गई थी। इन घटनाओं के बाद नगर कोतवाली पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगाले, जिससे आरोपियों की पहचान हुई और उन्हें गिरफ्तार किया जा सका।

पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि वे अपने परिवार और अन्य सदस्यों के साथ जिले भर में भीख मांगने का बहाना बनाकर घूमते थे। इसी दौरान भीड़भाड़ वाले स्थानों पर मौका पाकर वे महिलाओं के बैग और पर्स से चोरी की वारदातों को अंजाम देते थे। नगर कोतवाली पुलिस ने सभी आरोपियों को कोर्ट में पेश किया, जहां से छह को जेल भेज दिया गया है, जबकि एक बाल अपचारी को पुलिस अभिरक्षा में रखा गया है।

मालगाड़ी के 10 डिब्बे इंजन से अलग टिकरी क्रॉसिंग पर हुआ हादसा

संवाददाता–गोण्डा। नवाबगंज क्षेत्र में शुक्रवार सुबह 8 बजे मालगाड़ी के 10 डिब्बे इंजन से अलग हो गए। समय रहते स्थिति पर काबू पा लिया गया और कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। यह मालगाड़ी अयोध्या–कटरा होते हुए मनकापुर की ओर जा रही थी। यह हादसा टिकरी रेलवे क्रॉसिंग 12सी के पास हुआ। नवाबगंज–टिकरी रेलवे क्रॉसिंग पार करते ही अचानक प्रेशर पाइप अलग हो गया, जिससे 10 डिब्बे इंजन से कटकर पीछे छूट गए। डाउन नौतनवा मालगाड़ी में आयरन रॉड लदी थी। नवाबगंज–टिकरी रेलवे क्रॉसिंग पार करते ही अचानक प्रेशर पाइप अलग हो गया, जिससे 10 डिब्बे इंजन से कटकर पीछे छूट गए। इंजन करीब 100 मीटर आगे जाकर रुका। ट्रेन में कुल 59 डिब्बे थे।

घटना की सूचना मिलते ही मालगाड़ी की महिला गार्ड ज्योति ने तत्काल लोको पायलट को सतर्क किया। इसके बाद इमरजेंसी ब्रेक लगाकर ट्रेन को रोका गया। गार्ड और रेलवे कर्मचारियों ने मिलकर अलग हुए डिब्बों को दोबारा जोड़ने का काम शुरू किया। करीब 18 मिनट की मशक्कत के बाद सभी डिब्बों को सुरक्षित रूप से जोड़ दिया गया।

बुद्ध–पूर्णिमा पर महापरिनिर्वाण मंदिर में डिप्टी सीएम ने चढ़ाया चीवरः ब्रजेश पाठक बोले– सपा की राजनीति भाई–भतीजावाद तक सीमित

संवाददाता–कुशीनगर। भगवान बुद्ध की 2570वीं जयंती (बुद्ध पूर्णिमा 2026) के अवसर पर महापरिनिर्वाण मंदिर में आयोजित भव्य कार्यक्रम शुक्रवार को सम्पन्न हुआ। देश–विदेश से आए श्रद्धालुओं और बौद्ध भिक्षुओं की मौजूदगी से पूरा परिसर आध्यात्मिक वातावरण में डूबा रहा। कार्यक्रम से पहले मंदिर परिसर को आकर्षक ढंग से सजाया गया था। वहीं मुख्य कार्यक्रम के दिन उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक कुशीनगर अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पहुंचे। इसके बाद दोनों नेता मंदिर पहुंचकर भगवान बुद्ध की लेटी हुई प्रतिमा पर चीवर अर्पित कर विधिवत पूजा–अर्चना की। उन्होंने प्रदेशवासियों को बुद्ध पूर्णिमा की शुभकामनाएं दीं। बुद्ध पूर्णिमा की पूर्व संध्या पर बौद्ध भिक्षुओं और श्रद्धालुओं ने कैंडल मार्च निकालकर मंदिर की परिक्रमा की। दीपों की रोशनी और 'बुद्धं शरणं गच्छामि' के जयघोष से पूरा परिसर आध्यात्मिक माहौल में डूब गया। भिक्षुओं ने शांति, करुणा और अहिंसा का संदेश दिया।

श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा और सुविधाओं के व्यापक इंतजाम किए थे। पूजन के बाद केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि भगवान बुद्ध का मार्ग विश्व शांति और मानव कल्याण का आधार है। उन्होंने श्रमिक दिवस पर श्रमिकों को बधाई दी और राजनीतिक सवालों पर विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि हार की आशंका से ईवीएम को लेकर निराधार आरोप लगाए जा रहे हैं।

वहीं, ब्रजेश पाठक ने भगवान बुद्ध की शिक्षा को वर्तमान समय में प्रासंगिक बताया। उन्होंने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर हमला बोलते हुए सपा की राजनीति को परिवारवाद और भाई–भतीजावाद तक सीमित बताया और पीडीए पर कटाक्ष करते हुए इसे प्राइवेट लिमिटेड की राजनीति करार दिया।

कार्यक्रम के दौरान दोनों उपमुख्यमंत्री बर्मी बुद्ध बिहार मंदिर भी पहुंचे, जहां उन्होंने दर्शन–पूजन किया। स्कूली बच्चों के सांस्कृतिक कार्यक्रमों ने आयोजन को और आकर्षक बना दिया। मंदिर परिसर में भारी भीड़ उमड़ी और पूरे क्षेत्र में उत्सव का माहौल बना रहा। बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर कुशीनगर पूरी तरह आस्था, श्रद्धा और उल्लास में डूबा नजर आया। वहीं हल्की बूंदाबांदी के बावजूद श्रद्धालुओं का उत्साह बना रहा और बड़ी संख्या में लोग मंदिर परिसर में मौजूद रहे। बौद्ध भिक्षुओं ने मंत्रोच्चार के साथ शांति, करुणा और अहिंसा का संदेश दिया। धार्मिक आस्था के साथ–साथ यह कार्यक्रम राजनीतिक बयानबाजी का भी केंद्र रहा, जहां दोनों उपमुख्यमंत्रियों ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। बुद्ध पूर्णिमा बौद्ध भिक्षुओं और श्रद्धालुओं ने महापरिनिर्वाण मंदिर की परिक्रमा की। इस दौरान दीपों की रोशनी और बुद्धं शरणं गच्छामि के जयघोष से पूरा परिसर आध्यात्मिक माहौल में डूब गया। भिक्षुओं ने शांति, करुणा और अहिंसा का संदेश दिया।

अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस पर नाविकों को लाइफ जैकेट

संवाददाता–श्रावस्ती। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस के अवसर पर कलेक्ट्रेट के तथागत हॉल में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसका शुभारंभ जिला पंचायत अध्यक्ष दहन मिश्र, जिलाधिकारी अन्नपूर्णा गर्ग, पूर्व जिलाध्यक्ष उदय प्रकाश त्रिपाठी और अपर जिलाधिकारी अमरेन्द्र कुमार वर्मा ने दीप प्रज्वलित कर किया। कार्यक्रम में श्रमिकों को उपहार और प्रमाणपत्र वितरित किए गए। सहायक श्रमायुक्त ने श्रम विभाग की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी और जागरूकता सामग्री बांटी। मातृ–शिशु वंदना योजना के लाभार्थियों को प्रमाण–पत्र, क्षय रोगियों को पोषण पोटली तथा आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा नाविकों को लाइफ जैकेट प्रदान की गई। एलएंडटी और बीपीएल संस्थाओं ने भी श्रमिकों को उपहार भेंट किए। इस दौरान लखनऊ में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम का सजीव प्रसारण भी दिखाया गया। जिला पंचायत अध्यक्ष दहन मिश्र ने श्रमिकों को समाज के विकास की रीढ़ बताया। उन्होंने कहा कि केंद्र और प्रदेश सरकार उनके हितों के लिए लगातार प्रयास कर रही है। डीएम अन्नपूर्णा गर्ग ने श्रमिकों के परिश्रम की सराहना करते हुए उन्हें राष्ट्र निर्माण की आधारशिला बताया। उन्होंने आश्वासन दिया कि प्रशासन उनके हर सहयोग के लिए तत्पर है। जिलाधिकारी ने श्रमिकों से हीटवेव से बचाव के लिए जारी दिशानिर्देशों का पालन करने, संतुलित आहार लेने और धूप से बचने की अपील की। उन्होंने बालश्रम को एक गंभीर समस्या बताते हुए जनपद को बालश्रम मुक्त बनाने में सहयोग का आह्वान भी किया। इसके बाद, अध्यक्ष और जिलाधिकारी ने ब्लड बैंक की मोबाइल यूनिट का फीता काटकर शुभारंभ किया। उन्होंने लोगों को रक्तदान महादान के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम के अंत में, बाल श्रम मुक्त श्रावस्ती के उद्देश्य से एक हस्ताक्षर अभियान चलाया गया। साथ ही, श्रमिकों के कौशल विकास के लिए 45 दिवसीय निःशुल्क प्रशिक्षण कार्यक्रम का भी शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम का समापन बालश्रम उन्मूलन के संकल्प के साथ हुआ।

प्रशासन की मौजूदगी में कब्र से निकाला गया महिला का शव

संवाददाता–महराजगंज। निचलौल थाना क्षेत्र के ग्राम मटरा ६ मिसर निवासिनी एक मृत विवाहिता का शव शुक्रवार को प्रशासन की मौजूदगी में कब्र से निकाला गया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। इस मामले में मृत विवाहिता के पिता ने पुलिस को तहरीर देकर उसके ससुराल के लोगों पर हत्या का आरोप लगाया था। इस आधार पर पुलिस इस मामले में पांच लोगों पर मुकदमा दर्ज कर चुकी है। पुलिस को दी गई तहरीर में ग्राम जटहां बाजार–कुशीनगर निवासी अलीहसन ने बताया कि उसकी बेटी हसीरुननिशा की शादी 25 फरवरी 2021 को निचलौल थानाक्षेत्र के ग्राम मटरा धमउर निवासी फैयाज अंसारी से हुई थी। उसका आरोप है कि बीते 22 अप्रैल की रात में उसकी बेटी की गला दबाकर हत्या कर दी गई। उसका पति विदेश में रहता है और उसके दो छोटे छोटे बच्चे भी हैं। उसके परिवार में दहेज को लेकर काफी दिनों से अनबन चल रही थी।आए दिन दहेज को लेकर उसकी बेटी को प्रताड़ित किया जाता था। उसका पति भी विदेश से दहेज को लेकर गाली देता था। मृतका के पिता का आरोप है कि इस घटना में उसके ससुराल के लोग शामिल रहे हैं। इनके द्वारा बिना बताए शव का दफन कर किया गया। इनका कहना है कि मौके पर कुछ लोगों ने प्रमाण के लिए घटना का वीडियो भी बनाया है।इस मामले में आगे की कार्रवाई के लिए शुक्रवार को नायब तहसीलदार पीयूष जायसवाल और सीओ बसंत सिंह की मौजूदगी में पुलिस ने मृत विवाहिता का शव कब्र से निकलवाया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। एसओ मदन मोहन मिश्र ने बताया कि विवाहिता के पिता की तहरीर पर उसके पति और दो महिलाओं समेत पांच के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। शव को कब्र से निकलवाकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। मामले में जरूरी कार्रवाई होगी।

अधिवक्ता की मौत में मुख्य आरोपित ग्राम प्रधान ने किया कोर्ट में आत्मसमर्पण

संवाददाता–देवरिया। बरहज अधिवक्ता संघ के पूर्व विजेंद्र सिंह की मौत के मामले में फरार चल रहे मुख्य आरोपित ग्राम प्रधान राजेश यादव ने शुक्रवार को देवरिया न्यायालय के सीजेएम कोर्ट में आत्मसमर्पण कर दिया। ग्राम प्रधान अपने अधिवक्ता वीरेंद्र कुमार साहनी के साथ अदालत में पेश हुए, जहां सुनवाई के बाद उन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। विजेंद्र सिंह की मौत के बाद से ही पुलिस राजेश यादव की तलाश कर रही थी। राजेश यादव की गिरफ्तारी को लेकर 25 दिनों से अधिवक्ता आंदोलन कर रहे हैं। राजनीतिक दलों की ओर से लगातार दबाव बनाया जा रहा था। एसओजी, सर्विलांस टीम और स्थानीय पुलिस टीम गिरफ्तारी में लगी थी, लेकिन सफलता नहीं मिली। हालांकि दो आरोपितों को पुलिस ने जरूर गिरफ्तार किया था। मुख्य आरोपित के लंबे समय तक गिरफ्त से बाहर रहने को लेकर पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल उठते रहे। अब प्रधान ने पुलिस को चकमा देकर अचानक कोर्ट में आत्मसमर्पण कर दिया। बरहज क्षेत्र के ग्राम लक्ष्मीपुर में ग्राम पंचायत द्वारा चकनाली पर सीसी रोड निर्माण का निर्माण कराया जा रहा था। विजेंद्र सिंह इसे नियम विरुद्ध बताकर उसका विरोध कर रहे थे। पांच अप्रैल को विवाद सुलझाने के लिए राजस्व टीम गाँव पहुँची थी। विवाद के दौरान अधिवक्ता की मौत हो गई। मौत के लिए तत्कालीन उपजिलाधिकारी और ग्राम प्रधान को जिम्मेदार ठहराया गया था। इसको लेकर तहसील में दिन भर अधिवक्ता धरना–प्रदर्शन करते रहे। पुलिस ने मृतक अधिवक्ता के पुत्र प्रशांत सिंह की तहरीर पर ग्राम प्रधान राजेश यादव, उनके भाई तारकेश्वर यादव, प्रधान के पुत्र कुलवंत यादव, सुखवंत यादव उर्फ बीरू और दुबौली के ग्राम प्रधान गामा यादव 13 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। कुलवंत व सुखवंत को पुलिस गिरफ्तार के जेल भेज चुकी है। विजेंद्र सिंह की मौत के मामले की गूंज लखनऊ तक पहुंची। मुख्यमंत्री के निर्देश पर अपर आयुक्त ने मामले की जांच की जिसमें प्रथम दृष्टा प्रशासनिक लापरवाही नजर आई। उनकी रिपोर्ट के आधार पर शासन ने तत्कालीन एसडीएम विपिन द्विवेदी को निलंबित कर दिया गया था। वहीं आरोपियों की गिरफ्तारी में देरी होने पर तत्कालीन पुलिस अधीक्षक संजीव सुमन को भी मुख्यालय से सम्बद्ध कर दिया गया था। राजेश चतुर्वेदी, क्षेत्राधिकारी बरहज ने कहा कि मुख्य आरोपित ग्राम प्रधान राजेश यादव ने न्यायालय में समर्पण कर दिया है। उसे न्यायालय ने न्यायिक हिरासत में भेजा है। पुलिस रिमांड पर लेने का प्रयास कर रही है। अन्य आरोपितों की शीघ्र गिरफ्तारी की जाएगी।

6.36 लाख गबन मामला, तत्कालीन सचिव को नोटिस

संवाददाता–देवरिया। गौरीबाजार क्षेत्र की बखरा ग्राम पंचायत में आठ निर्माण कार्यों में 6.36 लाख रुपये के गबन का मामला सामने आया है। इस संबंध में जिला विकास अधिकारी ने तत्कालीन ग्राम विकास अधिकारी (सचिव) उदय मल्ल गोड़ को नोटिस जारी कर तीन दिन के भीतर स्पष्टीकरण मांगा है। इससे पहले जिलाधिकारी भी ग्राम प्रधान और तत्कालीन सचिव से 3.18–3.18 लाख रुपये की वसूली के लिए नोटिस जारी कर चुकी हैं। जानकारी के अनुसार, बखरा ग्राम पंचायत में शशि प्रभा राव ग्राम प्रधान हैं। जांच में सामने आया कि ग्राम पंचायत में आठ निर्माण कार्यों में निर्धारित राशि से अधिक भुगतान किया गया था। इस अनियमितता से सरकारी धन के दुरुपयोग की पुष्टि हुई। जांच रिपोर्ट में इन आठ परियोजनाओं में कुल 6.36 लाख रुपये के अधिक भुगतान का खुलासा हुआ। उस समय उदय मल्ल गोड़ ग्राम विकास अधिकारी के पद पर तैनात थे। निर्माण कार्यों में धांधली और वित्तीय अनियमितता के स्पष्ट संकेत मिलने के बाद प्रशासन ने कार्रवाई शुरू की। पिछले महीने जिलाधिकारी दिव्या मित्तल ने ग्राम प्रधान शशि प्रभा राव और तत्कालीन सचिव उदय मल्ल गोड़ को नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा था। साथ ही, दोनों से बराबर–बराबर 3.18 लाख रुपये की वसूली का भी निर्देश दिया गया था।

एसपी ने किया 14 उपनिरीक्षकों को लाइन हाजिर

संवाददाता–बलरामपुर। कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से पुलिस अधीक्षक विकास कुमार ने बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया है। इस कार्रवाई में 14 उपनिरीक्षकों को नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं जबकि चोरी की घटनाओं के अनावरण में विफल रहने वाले 14 अन्य उपनिरीक्षकों को लाइन हाजिर कर दिया गया है। जारी आदेश के अनुसार, अनिल यादव को कोतवाली उतरौला से चौकी प्रभारी कस्बा (थाना गैड़ास बुजुर्ग) बनाया गया है। स्वतन्त्र कुमार गुप्ता को पुलिस लाइन से चौकी प्रभारी कस्बा (थाना तुलसीपुर) और आनन्द कुमार पटेल को पुलिस लाइन से चौकी प्रभारी जेल (कोतवाली देहात) भेजा गया है। इसी क्रम में, वीरेन्द्र कुमार शुक्ल को थाना हरैया से

चौकी प्रभारी इटईरामपुर, जितेन्द्र बहादुर को पुलिस लाइन से चौकी प्रभारी जैतापुर, और अमर सिंह को पुलिस लाइन से चौकी प्रभारी महदेउवा की जिम्मेदारी दी गई है।

इसके अतिरिक्त, दुर्गा प्रसाद पाण्डेय को वरिष्ठ उपनिरीक्षक थाना ललिया, राजेश कुमार को क्षेत्राधिकारी नगर कार्यालय और श्रवण कुमार ओझा को पुलिस अधीक्षक कार्यालय में तैनात किया गया है। सुरेश चन्द्र, दिग्विजय यादव और रमेश चन्द्र उपाध्याय को विभिन्न थानों तुलसीपुर व गौरा चौराहा में भेजा गया है। बदरूद्दीन खान को थाना महराजगंज तराई और दुर्गेश तिवारी को थाना सादुल्लानगर में तैनाती मिली है। पुलिस अधीक्षक ने स्पष्ट किया कि अपराध नियंत्रण में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने चोरी की बढ़ती घटनाओं को गंभीरता से लेते हुए उन उपनिरीक्षकों को तत्काल प्रभाव से लाइन हाजिर किया है, जिनका प्रदर्शन संतोषजनक नहीं था। इस प्रशासनिक कार्रवाई से पुलिस महकमे में हलचल मच गई है। माना जा रहा है कि इस सख्ती से कानून व्यवस्था में सुधार होगा और अपराधियों पर अंकुश लगाने में मदद मिलेगी।

बलरामपुर की चीनी मिलों में लगा श्रमिक आरोग्य मेल

संवाददाता–बलरामपुर। शुक्रवार को श्रमिक आरोग्य मेला सप्ताह के तहत विशेष स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन किया गया। श्रमिकों के बेहतर स्वास्थ्य को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से ये शिविर जनपद की तीनों चीनी मिलों बलरामपुर चीनी मिल, तुलसीपुर चीनी मिल और बजाज हिंदुस्तान चीनी मिल (इटई मैदा) में लगाए गए। इसी कड़ी में, मुख्य चिकित्सा अधिकारी बलरामपुर डॉ. मुकेश कुमार रस्तोगी ने बलरामपुर चीनी मिल में आयोजित स्वास्थ्य शिविर का निरीक्षण किया। उन्होंने स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता का आकलन किया और चिकित्सा दल को श्रमिकों को बेहतर उपचार तथा परामर्श प्रदान करने के निर्देश दिए। डॉ. रस्तोगी ने श्रमिकों से बातचीत कर उनकी स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं की भी जानकारी ली। इन शिविरों के माध्यम से कुल 1256 श्रमिकों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। स्वास्थ्य विभाग की टीमों ने श्रमिकों की सामान्य जांच के साथ–साथ विभिन्न रोगों की स्क्रीनिंग भी की। शिविरों के दौरान, 502 श्रमिकों का रक्तचाप (बीपी) और 484 श्रमिकों का रक्त शर्करा (ब्लड शुगर) स्तर जांचा गया। जिन श्रमिकों में कोई स्वास्थ्य समस्या पाई गई, उन्हें तत्काल आवश्यक परामर्श और दवाएं प्रदान की गईं। स्वास्थ्य विभाग द्वारा आयोजित इस पहल का मुख्य उद्देश्य श्रमिकों को उनके स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना, बीमारियों की समय पर पहचान करना और उनका उचित उपचार सुनिश्चित करना है।

ट्रांसफार्मर हटाने पर विवाद, जेई ने की गाली–गलौज, उपभोक्ता से की मारपीट

संवाददाता–देवरिया। जिले के रामपुर कारखाना थाना क्षेत्र में विद्युत ट्रांसफार्मर हटाने का विरोध करने पर एक उपभोक्ता की पिटाई का मामला सामने आया है। वीडियो में अवर अभियंता (जेई) महिपाल सिंह उपभोक्ता को अपशब्द कहते और मारपीट करते दिख रहे हैं। पीड़ित ने जिलाधिकारी से शिकायत कर कार्रवाई की मांग की है। यह घटना बुधवार की बताई जा रही है। यह मामला बैतालपुर उपकेंद्र के नेरुई अमवा फीडर से जुड़े बेलवा बाजार के सेमरहिया टोला का है। यहां के निवासी विपिन कुमार ने जिलाधिकारी को दिए शिकायती पत्र में बताया कि वह पिछले सात महीनों से बिजली कनेक्शन की समस्या को लेकर संबंधित उपखंड अधिकारी (जेई) कार्यालय के चक्कर लगा रहे थे, लेकिन उनकी समस्या का समाधान नहीं हो पाया था। पीड़ित के अनुसार, कुछ लोगों ने पहले बिजली के तार के लिए लगाए गए बांस–बल्ली को उखाड़ दिया था, जिससे तार टूट गए और उनके घर की विद्युत आपूर्ति बाधित हो गई थी। घर में बिजली आपूर्ति के लिए लगभग पांच वर्ष पहले करीब 500 मीटर दूर

10 केवीए का एक ट्रांसफार्मर निजी खर्च पर लगभग आठ हजार रुपये देकर लगवाया गया था। आरोप है कि बुधवार शाम करीब चार बजे अवर अभियंता महिपाल सिंह विद्युतकर्मियों के साथ गांव पहुंचे और बिना किसी पूर्व सूचना के ट्रांसफार्मर हटवाने लगे। जब विपिन कुमार के परिवार ने इसका विरोध किया, तो अवर अभियंता ने गाली–गलौज शुरू कर दी और विपिन कुमार के भाई को थप्पड़ मार दिया। घटना के दौरान वहां मौजूद एक व्यक्ति ने अपने मोबाइल फोन में पूरी घटना रिकॉर्ड कर ली। यह वीडियो बाद में सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया। विपिन कुमार ने वीडियो साक्ष्य के साथ जिलाधिकारी को शिकायत पत्र सौंपते हुए दोषी अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। इस मामले में गौरीबाजार के अधिशासी अभियंता नरेंद्र प्रकाश ने बताया कि उपभोक्ता का कनेक्शन जोड़ने का आदेश पहले ही दिया गया था। उन्होंने कहा कि आदेश के बावजूद कनेक्शन क्यों नहीं जोड़ा गया, इसकी जानकारी ली जाएगी। अधिशासी अभियंता ने यह भी कहा कि बुधवार को किस आदेश के तहत ट्रांसफार्मर हटाया गया, इसकी भी जांच कराई जाएगी। यदि बिना किसी आदेश के ट्रांसफार्मर हटाया गया है, तो संबंधित के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

श्रावस्ती रेल लाइन परियोजना में आई तेजीः 50 प्रतिशत भूमि अधिग्रहण पूरा

संवाददाता–बलरामपुर। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बहराइच–श्रावस्ती–बलरामपुर–खलीलाबाद नई रेल लाइन परियोजना की प्रगति की जानकारी दी है। उन्होंने पूर्व सांसद दहन मिश्र को पत्र भेजकर बताया कि परियोजना के लिए लगभग 50 प्रतिशत भूमि अधिग्रहण का कार्य पूरा हो चुका है। साथ ही, टेंडरिंग प्रक्रिया भी तेजी से आगे बढ़ रही है। मंत्री ने आश्वस्त किया कि इस महत्वाकांक्षी परियोजना को प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जाएगा। पत्र में यह भी उल्लेख किया गया है कि वन भूमि के डायवर्जन की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है, जिससे निर्माण कार्य में और तेजी आने की उम्मीद है। यह रेल लाइन परियोजना पूर्व सांसद दहन मिश्र के कार्यकाल में स्वीकृत हुई थी, जिसके लिए केंद्र सरकार ने पर्याप्त बजट भी जारी किया था। हाल ही में दहन मिश्र ने रेल मंत्री से मुलाकात कर परियोजना की धीमी प्रगति पर चिंता व्यक्त की थी और कार्य में तेजी लाने की मांग की थी।

मुलाकात के दौरान उन्होंने बताया था कि यह रेल लाइन बलरामपुर और श्रावस्ती जिलों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। श्रावस्ती आज भी देश का ऐसा जिला है, जहां रेलवे लाइन नहीं पहुंच सकी है। यह गौतम बुद्ध की पावन कर्मभूमि है और हर साल बड़ी संख्या में पर्यटक यहां आते हैं। इस सकारात्मक प्रगति पर पूर्व सांसद दहन मिश्र ने रेल मंत्री का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि यह बहुप्रतीक्षित परियोजना जल्द ही ६ रातल पर साकार होगी।

रोडवेज कर्मचारियों ने दी आंदोलन की चेतावनी

संवाददाता–बलरामपुर। रोडवेज कर्मचारी संयुक्त परिषद, उत्तर प्रदेश के आह्वान पर जिले के कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर आंदोलन की चेतावनी दी है। कर्मचारियों ने 1 मई 2026 को आयोजित एक बैठक में निजी बसों के बढ़ते अवैध संचालन और परिवहन निगम की नीतियों पर गहरी नाराजगी व्यक्त की।

कर्मचारियों का आरोप है कि निजी बसें परमिट शर्तों का उल्लंघन कर संचालित हो रही हैं, जिससे परिवहन निगम को भारी आर्थिक नुकसान हो रहा है। उन्होंने निगम की संपत्तियों और संचालन को निजी हाथों में सौंपने की प्रस्तावित योजनाओं का भी कड़ा विरोध किया।

रोडवेज कार्यालय पर धरने पर बैठे कर्मचारियों ने इन प्रस्तावित योजनाओं को तत्काल वापस लेने की मांग की। परिषद ने 15 मार्च 2026 को दिए गए नोटिस के आधार पर अपनी प्रमुख मांगों पर शीघ्र निर्णय लेने पर जोर दिया है।

कर्मचारियों ने सरकार द्वारा दी गई आर्थिक सहायता के लिए आभार व्यक्त किया, लेकिन साथ ही चेतावनी दी कि यदि 19 मई तक उनकी मांगें नहीं मानी गईं, तो 20 मई 2026 को क्षेत्र स्तर पर व्यापक आंदोलन किया जाएगा। इस आंदोलन में धरना–प्रदर्शन, रैली और आमसभा शामिल होंगी। इस धरने में परिषद की बलरामपुर इकाई के अध्यक्ष श्रीप्रकाश शुक्ला, मंत्री गिरिजा शंकर यादव, क्षेत्रीय संरक्षक शमशाद अहमद, क्षेत्रीय मंत्री सुशील कुमार मिश्रा और क्षेत्रीय संयोजक संजीव दूबे सहित कई कर्मचारी शामिल रहे।

अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस पर श्रमिकों का सम्मानः सीएम के 'श्रमवीर गौरव समारोह' का सीधा प्रसारण देखा गया

संवाददाता—संतकबीरनगर। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस के अवसर पर संतकबीरनगर के खलीलाबाद में स्थित कलेक्ट्रेट सभागार में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के 'श्रमवीर गौरव समारोह 2026' का सीधा प्रसारण देखा गया। इस कार्यक्रम में धनघटा विधायक गणेश चंद्र चौहान और मुख्य विकास अधिकारी जयकेश त्रिपाठी उपस्थित रहे। विधायक और सीडीओ ने श्रमिको को माला पहनाकर स्वागत और सम्मानित किया।

इस मौके पर विधायक गणेश चौहान ने जनपद में निर्माण कार्यों से जुड़े श्रमिकों को उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड में पंजीकरण और नवीनीकरण कराने के लिए जागरूक किया। उन्होंने बीओसी बोर्ड द्वारा संचालित कन्या विवाह सहायता योजना, मातृत्व शिशु एवं बालिका मदद योजना, मृत्यु एवं दिव्यांगता सहायता योजना जैसी विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी। इसके अतिरिक्त, श्रमिकों को उत्तर प्रदेश असंगठित सामाजिक सुरक्षा बोर्ड के तहत ई—श्रम कार्ड, प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना और नेशनल पेंशन योजना—ट्रेडर्स के बारे में भी बताया गया। विधायक ने सभी श्रमिकों को फूल—माला पहनाकर सम्मानित किया और मिष्ठान वितरित कर उनका उत्साहवर्धन किया। इस 'श्रमिक गौरव समारोह 2026' में जिला उद्योग व्यापार मंडल अध्यक्ष श्रवण अग्रहरी, मनरेगा मजदूर संघ के जिलाध्यक्ष ताल बहादुर, उपायुक्त मनरेगा प्रभात द्विवेदी, श्रम प्रवर्तन अधिकारी मनोज कुमार सहित विभिन्न श्रम संगठनों के प्रतिनिधि और श्रमिक उपस्थित रहे। कार्यक्रम के अंत में मुख्य विकास अधिकारी जयकेश त्रिपाठी ने विधायक गणेश चौहान को कार्यक्रम में शामिल होने के लिए धन्यवाद दिया और उनका सम्मान किया।

वही बेलहर ब्लॉक क्षेत्र के बन मेहदावल रेंज कार्यालय में अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस मनाया गया। इस अवसर पर क्षेत्रिय अधिकारी मेहदावल टीएन त्रिपाठी सहित मेहदावल रेंज के सम्मस्त अधिकारियों ने श्रमिकों के योगदान को याद किया और उनके सम्मान में एक कार्यक्रम आयोजित किया। मेहदावल रेंज क्षेत्रिय अधिकारी ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस हर साल 1 मई को दुनिया भर में मनाया जाता है। यह दिन श्रमिकों के अधिकारों और उनके संघर्षों को समर्पित है, जिन्होंने कार्य घंटों को सीमित करने और बेहतर कामकाजी परिस्थितियों के लिए आवाज उठाई थी। भारत सहित कई देशों में श्रमिकों के लिए 8 घंटे काम करने का नियम लागू है। इस कार्यक्रम में बान क्षेत्रीय अधिकारी टीएन त्रिपाठी, राजेश भट्ट, गोविंद त्रिपाठी, संतोष चौधरी, हरिश्चंद्र चौधरी, राजीव, अशोक कुमार सिंह और झिनक निषाद सहित कई अन्य अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित रहे।

पेट्रोल—डीजल का संकट गहराया 2 से 4 घंटे कतार में इंतजार

संवाददाता—सिद्धार्थनगर। पेट्रोल और डीजल का गंभीर संकट खड़ा हो गया है। जहां—जहां ईंधन उपलब्ध है, वहां लंबी कतारें लगी हैं। तेज धूप में घंटों इंतजार के बाद भी कई लोगों को बिना ईंधन के लौटना पड़ रहा है, जबकि वाहनों की लाइनें सड़कों तक फैल गई हैं।

जिला पूर्ति अधिकारी देवेंद्र प्रताप सिंह के अनुसार, जिले में कुल 123 पेट्रोल पंप हैं, जिनमें से करीब 90 पंपों पर आपूर्ति जारी है। उनका दावा है कि बाकी पंपों पर भी जल्द आपूर्ति बहाल कर दी जाएगी और शाम तक स्थिति सामान्य हो सकती है। हालांकि, जमीनी हालात इन दावों से मेल नहीं खा रहे। कई पेट्रोल पंपों पर 'नो स्टॉक' के बोर्ड लगे हैं, जिससे लोगों में नाराजगी बढ़ रही है।

जिला मुख्यालय की स्थिति ज्यादा चिंताजनक है। यहां कुल 6 पंपों में से अधिकांश सूख चुके हैं। फिलहाल मधुकरपुर स्थित भारत पेट्रोलियम और बांसी स्टैंड के इंडियन ऑयल पंप पर ही पेट्रोल—डीजल मिल रहा है। इन दोनों जगहों पर सुबह से ही भारी भीड़ उमड़ रही है और लोगों को 2 से 4 घंटे तक लाइन में लगना पड़ रहा है।

ईंधन संकट का असर आम जनजीवन पर साफ दिखाई दे रहा है। लोगों के जरूरी काम प्रभावित हो रहे हैं और आवागमन बाधित हो रहा है। कई स्थानों पर कालाबाजारी और अधिक कीमत वसूलने की शिकायतें भी सामने आई हैं, जिससे हालात और बिगड़ गए हैं।

इस मुद्दे पर राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई है। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ जिला उपाध्यक्ष वीरेन्द्र तिवारी ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रदेश में व्यवस्थाएं चरमरा गई हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि पेट्रोल, डीजल और एलपीजी जैसी बुनियादी जरूरतों की आपूर्ति सुचारू नहीं है और प्रशासन भ्रष्टाचार रोकने में विफल है।

वहीं, सपा नेता उग्रसेन प्रताप सिंह के नेतृत्व में आंदोलन की चेतावनी दी गई है। पार्टी का कहना है कि यदि जल्द हालात नहीं सुधरे तो सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा।

स्थानीय लोगों का कहना है कि यह संकट अचानक नहीं, बल्कि आपूर्ति व्यवस्था की लापरवाही का नतीजा है। उन्होंने प्रशासन से मांग की है कि नियमित आपूर्ति सुनिश्चित की जाए और जमाखोरी व कालाबाजारी पर सख्त कार्रवाई हो।

ब्यूटी पार्लर में फंदे से लटकता मिला संचालिका का शव

संवाददाता—संतकबीरनगर। खलीलाबाद कोतवाली क्षेत्र में एक ब्यूटी पार्लर संचालिका की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत से हड़कंप मच गया। 24 वर्षीय रानी साहिबा का शव उसके ही पार्लर की तीसरी मंजिल पर सीढ़ियों की रेलिंग से दुपट्टे के सहारे लटका मिला। सूचना पर पहुंची पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने मौके से साक्ष्य जुटाकर जांच शुरू कर दी है। मृतका बरदहिया बाजार में किराए के मकान में अपने परिवार के साथ रहती थी। मूल रूप से बिहार के सीवान जिले का यह परिवार करीब 20 वर्ष पहले रोजगार की तलाश में खलीलाबाद आकर बस गया था। रानी साहिबा शहर के मुसहरा मार्केट में "एंजल ब्यूटी पार्लर" चलाती थी, जिसकी शुरुआत करीब पांच महीने पहले ही हुई थी परिजनों के अनुसार, गुरुवार को रानी रोज की तरह टिफिन लेकर पार्लर गई थी, लेकिन देर शाम तक घर नहीं लौटी। कई बार फोन करने के बावजूद संपर्क नहीं हुआ तो पिता रुस्तम अली पार्लर पहुंचे, जहां उन्होंने बेटी का शव फंदे से लटका देखा। परिजन उसे तुरंत अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही अपर पुलिस अधीक्षक सुशील कुमार सिंह, क्राइम इंस्पेक्टर और अन्य पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे। पुलिस आसपास के लोगों से पूछताछ कर रही है और सीसीटीवी फुटेज भी खंगाल रही है।

मृतका के पिता ने आत्महत्या की आशंका से इनकार करते हुए हत्या का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि उनकी बेटी ऐसा कदम नहीं उठा सकती, बल्कि किसी ने उसकी हत्या कर शव को फंदे से लटका दिया है। अपर पुलिस अधीक्षक सुशील कुमार सिंह ने बताया कि पुलिस सभी बिंदुओं पर जांच की जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के वास्तविक कारण स्पष्ट हो सकेंगे।

खेत के विवाद में हुई मारपीट में सगे भाइयों की मौत

संवाददाता—गोरखपुर। रामगढ़ताल क्षेत्र के मंझरिया बड़गो गांव में खेत विवाद में गुरुवार को हुई मारपीट में घायल दो सगे भाइयों में एक की देर रात तो दूसरे भाई की शुक्रवार की सुबह मौत से कोहराम मच गया। उधर, मौत के बाद निजी अस्पताल में परिवारीजनों ने जमकर हंगामा किया। परिजनों ने इलाज में लापरवाही और किडनी निकालने का आरोप लगाया। सूचना पर पहुंची गुलरिहा पुलिस ने हालात को नियंत्रित कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। जानकारी के अनुसार, मंझरिया बड़गो निवासी अक्षयवर निषाद (45) और उनके भाई पप्पू निषाद (40) का 28 अप्रैल की सुबह पड़ोसियों से खेत को लेकर विवाद हो गया। विवाद बढ़ने पर मारपीट हुई, जिसमें दोनों भाइयों के सिर पर गंभीर चोटें आईं। घटना के बाद दोनों को पहले सदर अस्पताल ले जाया गया, जहां से हालत गंभीर होने पर उन्हें बीआरडी मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया। हालांकि परिजन उन्हें वहां न ले जाकर एक निजी अस्पताल में भर्ती कराए। परिजनों के अनुसार, इलाज के दौरान पप्पू निषाद की सुबह मौत हो गई। आरोप है कि देर रात अक्षयवर निषाद की हालत गंभीर बताकर उन्हें मेडिकल कॉलेज भेजने की तैयारी की गई, जबकि उनकी मौत पहले ही हो चुकी थी। परिजनों का कहना है कि अस्पताल स्टाफ एंबुलेंस में मरीज को छोड़कर मौके से चला गया। सिर में चोट होने के बावजूद पेट का ऑपरेशन किए जाने पर भी परिजनों ने सवाल उठाए हैं और किडनी निकालने का आरोप लगाते हुए अस्पताल परिसर में देर रात तक हंगामा किया। पुलिस ने किसी तरह से मामला शांत कराकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजवा दिया। उधर, मौत के बाद गांव से लेकर मेडिकल कालेज तक तनाव की स्थिति बनी रही।

दुष्कर्म के दोषी को 7 साल की सजा कोर्ट ने 20 हजार का लगाया जुर्माना

संवाददाता—सिद्धार्थनगर। सिद्धार्थनगर की अदालतों ने दो अलग—अलग मामलों में सख्त फैसला सुनाया है। नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को 7 साल के कठोर कारावास और 20,000 के अर्थदंड की सजा दी गई, वहीं एनडीपीएस एक्ट के एक मामले में आरोपी को 10 माह का सश्रम कारावास मिला है। अपर जिला एवं सत्र/पॉक्सो न्यायाधीश वीरेन्द्र कुमार की अदालत ने शोहरतगढ़ थाना क्षेत्र के एक नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में यह फैसला सुनाया। वर्ष 2016 के इस मामले में अभियोजन पक्ष ने गवाहों के बयान, चिकित्सीय रिपोर्ट और अन्य साक्ष्यों को मजबूती से प्रस्तुत किया। जोगिया उदयपुर थाना क्षेत्र से संबंधित एनडीपीएस एक्ट के एक अन्य मामले में न्यायिक मजिस्ट्रेट धम्म कुमार सिद्धार्थ ने आरोपी को 10 माह के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। इस मामले में भी जांच से लेकर ट्रायल तक साक्ष्यों की कड़ी को मजबूत बनाए रखा गया था। इन दोनों मामलों में पुलिस और अभियोजन पक्ष के बीच बेहतर समन्वय देखने को मिला। केस डायरी की सटीक तैयारी, गवाहों की समय पर उपस्थिति और साक्ष्यों की व्यवस्थित प्रस्तुति ने अदालती कार्यवाही को मजबूत आधार प्रदान किया। जिला मॉनिटरिंग टीम और संबंधित थानों की सक्रियता भी इन फैसलों में महत्वपूर्ण रही। इन फैसलों को लंबित मामलों के त्वरित निपटान और दोषियों को सजा दिलाने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। लगातार आ रहे ऐसे निर्णयों से जिले में अपराधियों के बीच कानून का डर बढ़ रहा है, वहीं पीड़ितों में न्याय व्यवस्था के प्रति भरोसा भी मजबूत हो रहा है।

बुद्ध पूर्णिमा पर सिद्धार्थ बौद्ध विहार में उत्सवः बौद्धाचार्य ने गौतम बुद्ध के संदेशों पर प्रकाश डाला गया

संवाददाता—सिद्धार्थनगर। डुमरियागंज तहसील स्थित जमौता—जमौती के सिद्धार्थ बौद्ध विहार में शुक्रवार को बुद्ध पूर्णिमा का त्योहार मनाया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया और भगवान बुद्ध के संदेशों को याद किया।

कार्यक्रम की शुरुआत राम भरोसे द्वारा भगवान बुद्ध की प्रतिमा पर दीप प्रज्वलित करने से हुई। इसके बाद बौद्धाचार्य अवधेश गौतम ने उपस्थित लोगों को त्रिशरण पंचशील ग्रहण कराया। सभी श्रद्धालुओं ने एक—एक कर प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर अपनी श्रद्धा व्यक्त की।

इस अवसर पर मनोज सिद्धार्थ ने उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए बुद्ध पूर्णिमा के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि यह बौद्ध धर्म में आस्था रखने वालों का एक प्रमुख त्योहार है, जो वैशाख माह की पूर्णिमा को मनाया जाता है। इसी दिन गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और इसी दिन उनका महापरिनिर्वाण भी हुआ था।

मनोज सिद्धार्थ ने बताया कि बुद्ध का जन्म 563 ई.पू. में वैशाख पूर्णिमा को लुंबिनी, शाक्य राज्य (जो अब नेपाल में है) में हुआ था। उनका महापरिनिर्वाण 483 ई.पू. में 80 वर्ष की आयु में कुशनारा (वर्तमान कुशीनगर) में हुआ था।

उन्होंने जोर देकर कहा कि आज के समय में भगवान बुद्ध द्वारा दिए गए अहिंसा, करुणा और मैत्री के मार्ग पर चलकर आतंकवाद जैसी गंभीर चुनौतियों का सामना किया जा सकता है। बुद्ध के संदेश वर्तमान परिवेश में भी अत्यंत प्रासंगिक हैं।

इसी तरह, क्षेत्र के पटखौली, गौहनियाराज, गौराही बुजुर्ग और महुआखुर्द गांवों में भी भगवान बुद्ध की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की गई। इन स्थानों पर भी लोगों ने बुद्ध के संदेशों को अपने जीवन में अपनाने का संकल्प लिया। इस अवसर पर राम नरेश राम, मुरली, विक्रम कुमार, आदर्श सिद्धार्थ, उमेश सिद्धार्थ, अमित सिद्धार्थ, बेचू, संतोष गौतम, कैलाशपति, सुभावती, सरिता गौतम, पुष्पा गौतम और अर्पिता सिद्धार्थ सहित कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे।

पिकअप की टक्कर से किशोर की मौत

संवाददाता—संतकबीरनगर। महुली क्षेत्र के महुली—बारीडीहा मार्ग पर शुक्रवार को एक पिकअप वाहन की टक्कर से बाइक सवार एक किशोर की मौत हो गई, जबकि एक अन्य घायल हो गया। यह दुर्घटना झिगुरापार गांव के पास हुई। घायलों को तुरंत सीएचसी नाथनगर ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने किशोर को मृत घोषित कर दिया। मृतक की पहचान ग्राम रौजा निवासी मोहम्मद अफ्फान (करीब 15 वर्ष) पुत्र मोहम्मद अनीस के रूप में हुई है। घायल मोहम्मद शाहरुख पुत्र अब्दुल रशीद भी इसी गांव का रहने वाला है। दोनों शुक्रवार को किसी काम से झिंगुरापार गए थे और बाइक से घर लौट रहे थे। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, पश्चिमपुरवा मोहल्ला स्थित आटा चक्की के सामने मुख्य सड़क पर पहुंचते ही उनकी बाइक पिकअप वाहन की चपेट में आ गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि दोनों सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए। बताया जा रहा है कि पिकअप वाहन किसी अन्य गाड़ी को टोचन करके ले जा रहा था। सीएचसी नाथनगर में चिकित्सकों ने मोहम्मद अफ्फान को मृत घोषित कर दिया।

श्रमायुक्त एवं डीएम दफ्तर पर प्रदर्शन, सौंपा ज्ञापन

संवाददाता—गोरखपुर। मजदूर दिवस के मौके पर उत्तर प्रदेश उत्तराखंड मेडिकल एंड सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स एसोसिएशन के बैनर तले इकाई के लोगों ने श्रमायुक्त कार्यालय एवं जिलाधिकारी कार्यालय पर प्रदर्शन किया। अवकाश होने के कारण श्रमायुक्त को संगठन की विभिन्न मांगों से संबंधित ज्ञापन ई—मेल के माध्यम से भेजा गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता अखिलेश उपाध्याय ने की। संचालन कामरेड प्रवीण द्विवेदी ने किया। इस मौके पर कामरेड राकेश श्रीवास्तव, कामरेड धनंजय श्रीवास्तव, केके भट्ट, दिलीप सिंह, उजाला नन्द शुक्ला, अशोक कश्यप, वैभव श्रीवास्तव, मनोज भल्ला, सर्वेश चतुर्वेदी, जफर, अभिनव राय, दीपक तिवारी, रणजीत आदि मौजूद रहे।

कांग्रेस नेता ने श्रमिक का सम्मान किया

संवाददाता—गोरखपुर। इंदिरा बाल विहार पर अंतरराष्ट्रीय श्रमिक दिवस पर कांग्रेस के पूर्व जिला महासचिव अनुराग पाण्डेय ने एक श्रमिक को गमछा देकर सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि देश के विकास में श्रमिकों के योगदान का भुलाया नहीं जा सकता है। इस दौरान किसान कांग्रेस के जिला उपाध्यक्ष मुन्ना तिवारी, ओमेंद्र पांडेय, सूरज यादव, जितेंद्र विश्वकर्मा, अभिनंदन द्विवेदी, गया प्रसाद, अभिषेक राय गांधी, प्रभात चतुर्वेदी, आशीष प्रताप सिंह समेत अन्य उपस्थित रहे। हालांकि काफी संख्या में श्रमिक उपस्थित रहे लेकिन गमछा न मिलने से उन्हें निराशा हुई।

अदालती नोटिस

इत्तिलानामा दरख्वास्त हुसूल हुक्म मुशहर मन्सूखी डिसमिसी नालिश (आर्डर 9 कायदा 9) (2)

अदालत—श्रीमान सिविल जज (सी0डि0) बस्ती जिला—बस्ती

प्रकीर्ण वाद सं0—262/2025

जुगेश सडाना

बनाम

चन्द्रकान्ती अरोड़ा आदि

1. चन्द्रकान्ती अरोड़ा उम्र लगभग 76 साल पत्नी मोहनलाल 2. संजय अरोड़ा उम्र लगभग 46 साल पुत्र मोहनलाल 3. पूजा अरोड़ा उम्र लगभग 35 साल पुत्री मोहनलाल साकिनान— मो0 सुर्तीहट्टा, पुरानी बस्ती, तप्पा हवेली, परगना बस्ती पूरब, तहसील व जिला बस्ती

तारीख पेशी 20—05—2026

हरगाह मुद्दई मजकूरूसदर ने इस अदालत में दरख्वास्त हुकूम मुशहर मन्सूखी डिसमिसी नालिश नाबुदा हस्ब हिदायत अदालत हाजा बतारीख माह सन ई0 पेश को है।

लिहाजा आपको इत्तिला दी जाती है कि आप इस अदालत में बतारीख 20 माह 05 सन 2026 या असालतन या बजरिये वकील अदालत हाजा या मुख्तार मजाज हस्ब जाप्ता और वाकिफ हाल मुकदमा में हाजिर होकर वजह (अगर कोई हो) जाहिर करें कि नाबुर्दा की दरख्वास्त क्यों न मन्जूर किया जाय।

मेरे दस्तखत और मुहर अदालत से आज बतारीख माह सन 20 ई0 जारी किया गया।

द0 हाकिम

अदालती नोटिस

सम्मन वास्ते करारवाद उमूर तनकीह तलब (आर्डर 5 कायदा 1 व 5)

न्यायालय— श्रीमान ग्राम न्यायालय हर्रैया जिला—बस्ती

प्रकीर्णवाद सं0—07/2025

मूलवाद सं0—435/2019

काशीराम (मृतक) आदि

बनाम

अयोध्या आदि

1. अयोध्या उम्र लगभग 50 साल पुत्र विश्राम 2. गब्बर उर्फ बृजेश कुमार उम्र करीब 30 साल 3. मुकेश कुमार उर्फ सत्येन्द्र उम्र करीब 25 साल पुत्रगण अयोध्या साकिनान मौजा किशुनपुर तप्पा गौर परगना बस्ती पश्चिम तहसील हर्रैया जिला बस्ती

तारीख पेशी 22—05—2026

हरगाह ने आपके नाम नालिश बाबत के दायर की है। लिहाजा आपक 22 माह 05 सन 2026 ई0 बवक्त 10 बजे दिन असालतन या मारफत वकील के जो मुकदमें के हालत से करार वाकई वाकिफ किया गया हो और जो कुल उमूर अहम मुतल्लिका मुकदमा जवाब दे सके या जिसके साथ कोई और सख्श हो जो कि जवाब ऐसे सवालात का दे सके हाजिर हों और जवाबदेही दावा कीजिये और हरगाह वही तारीख जो आपके इजहार के लिये मुकर्रर है वास्ते इनफिसाल कत्तई मुकदमा के तजबीज हुई है और आपको लाजिम है कि उसी रोज जुमला दस्तावेज को जिनको आप अपनी जवाबदेही के तहत इस्तेमाल करना चाहते हों पेश करें।

आपको इत्तिला दी जाती है कि अगर बरोज मजकूर आप हाजिर न होंगे तो मुकदमा बगैर हाजिरी आपके मसमुआ और फैसला होगा।

बसख्त मेरे दस्तखत और मुहर अदालत के आज बतारीख माह सन 20 ई0 जारी किया गया।

—द0 हाकिम

अदालती नोटिस

सम्मन वास्ते करारवाद उमूर तनकीह तलब (आर्डर 5 कायदा 1 व 5)

न्यायालय— श्रीमान सिविल जज (सी0डि0) बस्ती जिला—बस्ती

वाद सं0—588/2025

मजहर आलम

बनाम

सलमा आदि

1— सलमा उम्र लगभग 55 वर्ष बेवा अतहर आलम 2. अनवर आलम उम्र लगभग 33 वर्ष पुत्र अब्दुल जब्बार साकिनान ग्राम कम्हरिया तप्पा हल्लौर तहसील डुमरियागंज पोस्ट गौरा बाजार जिला सिद्धार्थनगर पिन कोड 272189 —प्रतिवादीगण प्रथम वर्ग 3. अजहर आलम उम्र लगभग 43 वर्ष 4. अफसर आलम उम्र लगभग 29 वर्ष पुत्रगण स्व0 अब्दुल जब्बार साकिनान ग्राम कम्हरिया तप्पा हल्लौर तहसील डुमरियागंज पोस्ट गौरा बाजार जिला सिद्धार्थनगर पिन कोड 272189 —प्रतिवादीगण द्वितीय वर्ग

तारीख पेशी 02—05—2026

हरगाह ने आपके नाम नालिश बाबत के दायर की है। लिहाजा आपक 02 माह 05 सन 2026 ई0 बवक्त 10 बजे दिन असालतन या मारफत वकील के जो मुकदमें के हालत से करार वाकई वाकिफ किया गया हो और जो कुल उमूर अहम मुतल्लिका मुकदमा जवाब दे सके या जिसके साथ कोई और सख्श हो जो कि जवाब ऐसे सवालात का दे सके हाजिर हों और जवाबदेही दावा कीजिये और हरगाह वही तारीख जो आपके इजहार के लिये मुकर्रर है वास्ते इनफिसाल कत्तई मुकदमा के तजबीज हुई है और आपको लाजिम है कि उसी रोज जुमला दस्तावेज को जिनको आप अपनी जवाबदेही के तहत इस्तेमाल करना चाहते हों पेश करें।

आपको इत्तिला दी जाती है कि अगर बरोज मजकूर आप हाजिर न होंगे तो मुकदमा बगैर हाजिरी आपके मसमुआ और फैसला होगा।

बसख्त मेरे दस्तखत और मुहर अदालत के आज बतारीख माह सन 20 ई0 जारी किया गया।

—द0 हाकिम

अदालती नोटिस

प्रारूप 7

(देखे नियम—11 (1)

घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम, 2005 की धारा—12 (1) के अधीन हाजिर होने के लिए सूचना

अदालत—श्रीमान जे0एम0/ एफ0 टी0 सी0 (सी0ए0डब्लू0) महोदय बस्ती जिला—बस्ती

प्रकीर्ण घरेलू हिंसा परिवाद वाद सं0 154/2025

थाना—वाल्टरगंज

जिला—बस्ती

सहनाज खातून

बनाम

मोहम्मद अली आदि

1. मोहम्मद अली उम्र लगभग 30 वर्ष पुत्र मोहम्मद हुसेन 2. हदीसुन्निशा उम्र लगभग 52 वर्ष पत्नी मोहम्मद हुसेन 3. मकसूद उम्र लगभग 20 वर्ष पुत्र मोहम्मद हुसेन 4. गुलशन उम्र लगभग 25 वर्ष पुत्री मोहम्मद हुसेन 5. मोमिना उम्र लगभग 24 वर्ष पुत्री मोहम्मद हुसेन निवासी सल्टौआ गोपालपुर थाना सोनहा जनपद बस्ती

तारीख पेशी 16—05—2026

याची ने घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम, 2005 (2005 का 43) की धारा— 12 के अधीन आवेदन फाइल किया है/किये है। आपको यह कारण बताने के लिए कि क्यों न आवेदक द्वारा मांगे गये (अनुतोषो) को आपके विरूद्ध प्रदान कर दिया जाय व्यक्तिगत रूप से या सम्यक रूप से प्राधिकृत काउन्सेल के मार्फत तारीख 16 मास 05 सन् 2026 को बजे पूर्वान्ह/अपरान्ह में इस न्यायालय के समक्ष हाजिर होने का निर्देश दिया जाता है। इसमे असफल होने पर न्यायालय एक पक्षीय कार्यवाही करेगा। मेरे हस्ताक्षर और न्यायालय की मुद्रा के अधीन तारीख को दी गयी।

द0 हाकिम

अदालती नोटिस

इत्तिलानामा दरख्वास्त हुसूल हुक्म मुशहर मन्सूखी डिसमिसी नालिश (आर्डर 9 कायदा 9) (2)

न्यायालय— श्रीमान सिविल जज (सी0डि0) बस्ती जिला—बस्ती

अकिंचन वाद सं0—73/2022

प्रकीर्ण वाद सं0—195/2023

नन्दलाल

बनाम

मोहन लाल आदि

1— मोहन लाल उम्र लगभग 46 वर्ष 2— सुनील तुमार उम्र लगभग 43 वर्ष पुत्रगण दुखहरन 3— सन्तोष कुमार उम्र लगभग 27 वर्ष पुत्र मोहन लाल साकिनान मौजा मधवापुर पान्डे तप्पा पुरैना परगना अमोढ़ा तहसील हर्रैया जिला बस्ती

तारीख पेशी 15—05—2026

हरगाह मुद्दई मजकूरूसदर ने इस अदालत में दरख्वास्त हुकूम मुशहर मन्सूखी डिसमिसी नालिश नाबुदा हस्ब हिदायत अदालत हाजा बतारीख माह सन ई0 पेश को है।

लिहाजा आपको इत्तिला दी जाती है कि आप इस अदालत में बतारीख 15 माह 05 सन 2026 या असालतन या बजरिये वकील अदालत हाजा या मुख्तार मजाज हस्ब जाप्ता और वाकिफ हाल मुकदमा में हाजिर होकर वजह (अगर कोई हो) जाहिर करें कि नाबुर्दा की दरख्वास्त क्यों न मन्जूर किया जाय।

मेरे दस्तखत और मुहर अदालत से आज बतारीख माह सन 20 ई0 जारी किया गया।

द0 हाकिम

अदालती नोटिस

इश्तहार मजरिया अदालत—श्रीमान सिविल जज (जू0डि0) बस्ती जिला—बस्ती

उत्तराधिकार प्रकीर्ण वाद सं0 199/2025

श्रीमती मालती—सायलान

1—श्रीमती मालती उम्र लगभग 65 वर्ष पत्नी स्व0 माता प्रसाद 2—सुनीता उम्र लगभग 45 वर्ष पत्नी धर्मेन्द्र 3—श्रीमती सरिता उम्र लगभग 45 वर्ष पत्नी जनार्दन साकिनान—पचवस, तप्पा—बेलवा, परगना—अमोढ़ा, तहसील—हर्रैया जिला—बस्ती।

तारीख पेशी 03—05—2026

दरख्वास्त मुसम्मा

वास्ते हुसूल सर्टीफिकेट वसूल कर्जा व विकालत हाय दरख्वास्त मुसम्मा मुतवफ्फा अपने बमूजिब एक्ट 7 सन 1889 ई0 वकैद

हरगाह मुसम्मा ने दरख्वास्त हुसूल सर्टीफिकेट गुजरानी है और तारीख माह सन ई0 वास्ते समाअत दरख्वास्त के मुकर्रर हुई है। लिहाजा यह इश्तिहार जारी किया जाता है कि किसी को निस्बत के उज्र हो या असालतन या वकालतन वक्त 10 बजे सुबह अदालत सिविल जज (जू0डि0) बस्ती बतारीख पेशी 03—05—2026 मुकर्रर हाजिर होकर उज्र अपना पेश करें। दरसूरत इनकजाय तारीख मजकूर के फिर उज्र किसी का सुना न जायेगा और हुक्म मुनासिब निस्बत दरख्वास्त मजकूर के सादिर होगा।

अलमरकूम माह सन 20 ई0।

द0 हाकिम

अदालती नोटिस

सम्मन बरगज इनफिसाल मुकदमा (आर्डर 5 कायदा 1 व 5 मजमुआ जाप्ता 200 ई0)

वाद सं0— /2015

क0 वाद सं0— T202617630204970

अदालत— श्रीमान उप जिलाधिकारी महोदय बांसी जिला—सिद्धार्थनगर

रामदास आदि

बनाम

ग्राम पंचायत आदि

1. इन्द्रमती विधवा गजल 2. ओम प्रकाश 3. देवेन्द्र 4. लालजी पुत्रगण गजल साकिन रमवापुर तप्पा घोसियारी परगना मगहर पश्चिम तहसील बांसी जिला—सिद्धार्थनगर 5. पियारे पुत्र सहदेव 6. रामगोपाल पुत्र रामसहाय 7. जनार्दन पुत्र सुदामा 8. जोखन पुत्र सन्तू 9. रामस्वारथ पुत्र रामराज 10. सीताराम पुत्र सहदेव 11. रामनरेश पुत्र रामा 12. महेश पुत्र रामा 13. ध्रुवचन्द्र पुत्र चन्द्रभान 14. मु0 गोन्हा पुत्र हरीराम 15. धनुषधारी पुत्र चन्द्रभान 16. उत्तम चन्द्र पुत्र चन्द्रभान 17. रामचन्द्र पुत्र राजाराम 18. नरसिंह पुत्र रामअचल 19. रामरक्षा पुत्र राजाराम 20. श्रीमती प्रेमा देवी पत्नी रामगोपाल 21. चन्द्रभान पुत्र सुक्खू 22. रामअचल पुत्र लल्लन 23. जोखन पुत्र सन्तू 24. श्रीमती सोनी पत्नी लौटू 25. रामकेश पुत्र रामअचल 26. वीरेन्द्र पुत्र रामअचल 27. झिन्नू पुत्र राजाराम 28. राजमन 29. रामनरायन 30. गौतम 31. वासेन्द्र सलेन्द्र पुत्रगण रामदत्त साकिन रमवापुर तप्पा घोसियारी परगना मगहर पश्चिम तहसील बांसी जिला—सिद्धार्थनगर

तारीख पेशी 06—05—2026

वाजेह हो कि देवी ने आपके नाम एक नालिस बाबत दायर की है। लिहाजा आपको हुक्म होता है कि आप बतारीख 06 माह 05 सन 2026 ई0 बवक्त 10 बजे दिन बमुकाम असालतन या मारफत वकील के जो मुकदमे के हालत से करार वाकई वाकिफ किया गया हो और जो कुल उमूर अहम मुतल्लिका मुकदमा जवाब दे सके या जिसके साथ कोई और सख्श हो जो कि जवाब ऐसे सवालात का दे सके हाजिर हो और जवाबदेही दावा कीजिये और हरगाह वही तारीख जो आपके इजहार के लिये मुकर्रर है वास्ते इनफिसाल कत्तई मुकदमा के तजबीज हुई है और आपको लाजिम है कि उसी रोज जुमला दस्तावेज को जिनको आप अपनी जवाबदेही के तहत इस्तदलाल करना चाहते हों पेश करें।

आपको इत्तिला दी जाती है कि अगर बरोज मजकूर आप हाजिर न होंगे तो मुकदमा बगैर हाजिरी आपके मसमुआ और फैसला होगा।

बसख्त मेरे दस्तखत और मुहर अदालत के आज बतारीख माह सन 20 ई0 जारी किया गया।

द0 हाकिम

दैनिक भारतीय बस्ती

संस्थापक सम्पादक स्व. दिनेश चन्द्र पाण्डेय

स्वत्वाधिकारी, प्रकाशक, मुद्रक प्रदीप चन्द्र पाण्डेय द्वारा दर्पण प्रिन्टिंग प्रेस वि0. नया हाल 1—4 A लोहिया काम्पलेक्स जिला पंचायत भवन गांधीनगर बस्ती (उ.प्र.) से मुद्रित एवं प्रकाशित।

प्रबन्ध सम्पादक—दिनेश सिंह

संयुक्त सम्पादक—प्रदीप चन्द्र पाण्डेय

अयोध्या—फैजाबाद कार्यालय—

चतुर्मुखी मंदिर परिसर लक्ष्मण घाट अयोध्या—फैजाबाद

लखनऊ कार्यालय—

आशियाना चौराहा, एल.डी.ए. कालोनी, सेक्टर एच, कानपुर रोड लखनऊ।

गोरखपुर कार्यालय—

इलाहीबाग गोरखपुर।

मो0 9336715406, 8400925463

ई.मेल bhartiyabasti@gmail.com

dainikbhartiyabasti@gmail.com